विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 07 / 2017

प्रति,

श्री सौरभ चक्रवर्ती,

मं. न.–04,सुन्दर नगर,

ए–सेक्टर, अशोका गार्डन,

भोपाल।(म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-05/2017दिनॉक 02.06.2017 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-05/2017दिनॉक 02.06.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 07.07.2017 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

–सही–

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि–

1.उपमहाप्रबंधक शहर संभाग(पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिभोपाल। (म.प्र.) – निर्णय की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

–सही–

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी/05/2017

02.06.2017

श्री सौरभ चक्रवर्ती,
मं. न. 04, सुन्दर नगर, ए सेक्टर, **(आवेदक)**
अशोका गार्डन, भोपाल।,
(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
शहर संभाग (पूर्व)**(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,भोपाल (म.प्र.)

आदेश

आज–07.07.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/05दिनॉक 02.06.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 13.06.17, 23.06.17, एवं 04.07.2017को सुना गया।

3.प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. आवेदक का कथन :–आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उक्त विद्युत संयोजन क्रमांक 2304401–69–21–7694125111 प्रार्थी के नाम से म.नं.–4, सुन्दर नगर, ए –सेक्टर, अशोका गार्डन, भोपाल में स्थापित है। पूर्व में निवास अन्य स्थान पर होने के कारण उक्त मकान में विगत 1–2 साल से प्रार्थी व उसका परिवार अधिकांशतः रहते ही नही थे, किन्तु प्रार्थी/परिवार में से कोई ना कोई प्रतिदिन/समय–समय पर उक्त मकान की देख–रेख करने आता था, व आवश्यकतानुसार वहॉ रहता था। इस बावत जो भी मासिक बिल आता था, उसे ऑनलाईन ही जमा करवा दिया जाता था।

माह मार्च 2017 के तीसरे सप्ताह से प्रार्थी अपने परिवार के साथ उक्त मकान में निवास करने लगा। मार्च 2017 में जो रू. 189/– का बिजली बिल आया था, उसने वह ऑनलाईन जमा

करवा दिया। किन्तु कुछ ही दिनों बाद पुनः एक और बिल उसे प्राप्त हुआ जिसमें तकरीबन रू. 8,500/– की अतिरिक्त राशि दर्शायी गयी। इसके निराकरण हेतु प्रार्थी ने आपके कार्यालय में कनिष्ठ यंत्री ने संपर्क किया जिसने कथित बिल उससे वापिस ले लिया गया, एवं स्वयं ही विद्युत मीटर के बदलने की कार्यवाही कर दी। यद्यापि मीटर चालू हालत में था एवं मासिक बिल रिडिंग से ही प्राप्त हो रहे थे, परस्पर उसमें प्रत्यक्षतः कोई छेड़खानी भी नही दिखाई दी थी।

उक्त मीटर को लैब टेस्टिंग भेजे जाने पर प्रार्थी को इस संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ, जिस कारण टेस्टिंग के समय प्रार्थी मौजूद था। लैब टेस्टिंग में इस बात की पुष्टि हुयी की प्रार्थी द्वारा उसमें कोई छेड़खानी नही की गयी, परस्पर मीटर को ERRATIC यानी अनियमित बतलाया गया। उक्त मीटर स्वतः ही कभी तेज तो कभी धीमे चल रहा था।

इसके बाद प्रार्थी को अप्रैल 2017 में बिजली बिल मिला जो कि पुराने मीटर की शेष 19 यूनिट तथा नये मीटर की रीडिंग 218 मिलाकर कुल 327 यूनिट का था, किन्तु बिल में कथित पूर्व बकाया रू. 8,484/– दर्शाया गया। आपके कनिष्ठ यंत्री ने उस बिल में से कथित रू. 8,484/– कम कर रू. 2,000/– जमा करने हेतु नोट लिख दिया, जो कि तत्काल नगद आपके कार्यालय में जमा करवा दिये गये। एवं प्रार्थी को आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही इसका निराकरण कर दिया जावेगा।

इसके बाद प्रार्थी को मई 2017 में बिजली बिल मिला तो उसमें कथित पूर्व बकाया रू. 8,478/– तथा एरियर रू. 106/– दर्शाया गया। यह बिल नये मीटर की रीडिंग 632 तक पूरे 632 यूनिट का बिल है जिसमें से पूर्व में भुगतान किये गये नये मीटर की रीडिंग 218 कम होने चाहिये। आपके कनिष्ठ यंत्री ने मात्र पूर्व में भुगतान किये गये 218 यूनिट कम कर सही यूनिट से बिल देने की तथा कथित पूर्व बकाया रू. 8,478/– तथा एरियर रू. 106/– नही हटाने की बात कही जिसमें प्रार्थी असहमत है। परस्पर, प्रार्थी द्वारा पुनः निराकरण हेतु अनुरोध करने पर कथित मई 2017 में प्राप्त बिजली बिल उन्होने रख लिया एवं उक्त बिल को पुनरीक्षित करके देने की बात कही । उनके द्वारा बतलाया गया कि वर्तमान में नये मीटर के उपयोग के आधार पर पिछले एक वर्ष का बिल इसमें समायोजित कर दिया जायेगा जो कि तकरीबन रू.19,000/– का हो जायेगा।

वर्तमान में तो प्रार्थी का संपूर्ण परिवार ही मकान में निवासरत है एवं उसके रिश्तेदार/मेहमान भी आये हुये है, गर्मी का मौसम जिससे फेन/कूलर/एसी/मोटर/लाईट आदी ज्यादा चल रहे है, इन सभी कारणों से बिजली खपत वर्तमान में ज्यादा हो रहा है, इस कारण यह विसंगत है। परस्पर, बदला गया मीटर ERRATICयानी अनियमिता पाया गया था, जिस पर ध्यान रखते हुये यह कहना संभव नही कि पूर्व में प्रार्थी द्वारा भुगतान किये गये बिल में रीडिंग तेज/ज्यादा थी या धीमी/कम थी।

महोदय, प्रार्थी कथित तकरीबन रू. 8,500/– देने में ही सक्षम नही हो पा रहा था, जिसके निराकरण हेतु अनुरोध करने पर अब तकरीबन रू.19,000/– को समायोजित करने को बतलाया गया है, जिससे प्रार्थी घोर मानसिक अवसाद में है। प्रार्थी विनम्र निवेदन करता है कि उक्त तथ्यों की ध्यान में रखकर न्यायपूर्ण समाधान करे। बिल में अतिरिक्त राशि का हटाया जाये ताकि प्रार्थी द्वारा समय पर भुगतान किया जा सके एवं परेशान ना होना पड़े, अति कृपा होगी।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **राजीव अग्रवाल**

निरंतर.....

5. अनावेदक का कथन :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया।श्री सौरभ चक्रवर्ती, म.नं.–4, ए–सेक्टर सुंदर नगर भोपाल द्वारा प्रेषित शिकायत के संबंध में जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. श्री सौरभ चक्रवर्ती द्वारा नवीन विद्युत कनेक्शन क्रमांक 7694125111 (पुराना सर्विस क्रमांक 911057) 26.09.2003 को घरेलू श्रेणी, स्वीकृत भार 3000 वॉट का लिया गया था जिस पर दिनांक 03.06.2012 को मीटर क्रमांक 574802 मैक नकोडा लगाया गया।
2. दिनांक 25.03.2017 को जांच के दौरान उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर क्रमांक 574802 मैक नकोडा की कार्यप्रणाली संदिग्ध पाए जाने पर उक्त मीटर के क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में जांच करने हेतु सील करके जप्त किया गया जिसका पंचनामा क्रमांक 2516/47 दिनांक 25.03.2017 को मौका स्थल पर बनाया गया तथा उक्त कनेक्शन के परिसर में नवीन मीटर क्रमांक 14800 मैक एचएसएम लगाया गया (पंचनामा एवं मीटर परिवर्तन रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न)
3. दिनांक 25.03.2017 को जप्त किए गए स्थापित मीटर क्रमांक 574802 मैक नकोडा की जांच दिनांक 13.04.2017 को के क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में जांच करने पर मीटर की कार्यप्रणाली डिफक्टिव पाई गई, जिसके आधार पर दिनांक 25.03.2017 को जांच के दौरान पाए गए संयोजित भार 3585 वाट्स की बिलिंग म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार LxDxHxF सूत्र के अनुसार कर, उक्त कनेक्शन में विगत 1 वर्ष में बिल की गई कुल 684 यूनिट्स का समायोजन कर कुल 1770 यूनिट्स की बिलिंग कर कुल राशि 15296/– रू. का पूरक देयक उपभोक्ता को भुगतान हेतु जारी किया गया है।

उपरोक्त जानकारी आपकी ओर न्यायपूर्ण कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

6.फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

दिनांक 13.07.2017 को आवेदक स्वयं श्री सौरभ चक्रवर्ती फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि मेरा मकान में पिछले लगभग दो वर्ष से कभी–कभार ही देख–रेख के लिए जाना होता था । उस मकान में जो मीटर लगा था चालू अवस्था में था और रीडिंग से ही हर महीने का बिल जमा करते थे । मार्च 2017 में मैं सहपरिवार इस मकान में रहने के लिए आ गया एवं घर में उपयोग होने वाले समस्त विद्युत उपकरण भी लगवा लिये कुछ दिन बाद बिजली के बिल में राशि रू. 8000/– सम्मिलित कर दिया गया एवं पूछने पर जे.ई. साहब ने बताया कि मीटर शायद स्लो चल रहा था इसलिये बिल कम आ रहा था । जिसको मैने चैलेंज किया और मीटर लैबोरेटरी में चैक कराने का निवेदन किया । लैब में मेरे सामने ही मीटर टेस्ट हुआ, जिसकी रिपोर्ट में इसे अरेटिक (अनियमित स्पीड) बताई गई मीटर कभी तेज चल रहा था कभी स्लो फिर भी जे.ई. साहब ने इसे स्लो मानते हुए

बिल में से अनुमानित राशि नहीं हटाई, बार–बार निवेदन करने के पश्चात् बिल में से अनुमानित राशिरू. 8000/– तो हटा दी किन्तु तकरीबन रू. 19120/– का देयक प्रदान किया गया, जिसकी शिकायत करने पर ए.ई. साहब ने इसको रिवाईस कर मनमाफीक गणना करते हुए तकरीबन रू. 15000/– का देयक थमा दिया, जिसका आवेदक विरोध करता है। जब मीटर को स्लो मानते हुए बिलिंग की गई तो मीटर को तेज एवं सही चलने के हिसाब से बिलिंग क्यों नहीं की गई ? अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि उक्त राशि को समाप्त कर संशोधित बिल प्रदान करने का कष्ट करें ताकि मैं नियमित बिल जमा कर सकूं ।

दिनांक 23.07.2017 को अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री अंकुर कांसकार सहायक यंत्री चॉदबड़ जोन भोपाल द्वारा प्रकरण में कथन किया कि श्री सौरभ चक्रवर्ती द्वारा नवीन विद्युत कनेक्शन क्रं. 7694125111 दिनांक 26.09.2003 को घरेलू श्रेणी, स्वीकृत भार 3000 वाट का लिया गया था, जिस पर दिनांक 03.06.2012 को मीटर क्रं. 574802 मैक नकोडा लगाया गया। दिनांक 25.03.2017 को जांच के दौरान उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर क्रमांक 574802 मैक नकोडा की कार्यप्रणाली संदिग्ध पाए जाने पर उक्त मीटर के क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में जांच करने हेतु सील करके जब्त किया गया जिसका पंचनामा क्रमांक 2516/47 दिनांक 25.03.2017 को मौका स्थल पर बनाया गया तथा उक्त कनेक्शन के परिसर में नवीन मीटर क्रं. 14800 मैक एचएसएम लगाया गया। दिनाक 25.03.2017 को जब्त किये गये स्थापित मीटर क्रं. 574802 मैक नकोडा की जांच दिनांक 13.04.2017 को क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में जांच करने पर मीटर की कार्यप्रणाली डिफेक्टिव पाई गई जिसके आधार पर दिनांक 25. 03.2017 को जांच के दौरान पाये गये संयोजित भार 3585 वॉट्स की बिलिंग म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अनुसार LxDxHxF सूत्र के अनुसार कर, उक्त कनेक्शन में विगत 1 वर्ष में बिल की गई कुल 684 यूनिट का समायोजन कर कुल 1770 यूनिट्स की बिलिंग कर कुल राशि रू. 15296/– का पूरक देयक भुगतान हेतु जारी किया गया है।

अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि आवेदक को देयक जारी किया गया वो नियम अनुसार सही है, अतः प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करे।

फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया कि माह मार्च 2015 से पहले लगभग तीन वर्ष का बिंलिग पत्रक आगामी दिनांक 04.07.17 को फोरम के समक्ष प्रस्तुत करे।

दिनांक 04.07.2017 अनावेदक की ओर से फोरम के समक्ष उपस्थित होकर श्री अंकुर कांसकार सहायक यंत्री चॉदबड़ जोन भोपाल द्वारा प्रकरण में कथन किया कि फोरम द्वारा पूर्व पेशी में दिये गये निर्देश के पालन में आवेदक का 03 वर्ष का बिलिंग पत्रक प्रस्तुत है । जिसके अनुसार आवेदक के परिसर में लगाये गये मीटर में माह फरवरी 2014 से पूर्व प्रतिमाह खपत 200 यूनिट से अधिक रही है तथा माह अप्रेल 2014 के पश्चात् मीटर की खपत में अचानक गिरावट होना प्रतीत होता है । अतः नियमानुसार पूर्व में स्थापित मीटर के माह जनवरी,फरवरी,मार्च 2014 की खपत का औसत 196 यूनिट लगभग होता है तथा उपभोक्ता को भुगतान हेतु जो पूरक देयक जारी किया गया है जिसमें बारह माह

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **राजीव अग्रवाल**

निरंतर.....

की कुल 1770 यूनिट अर्थात् प्रतिमाह 1770/12=204 यूनिट खपत का आंकलन किया गया है जो कि पूर्व की खपत से भी मिलान होता है जो कि सही प्रतीत होता है । अतः देयक में किसी प्रकार का संशोधन करना नियमानुसार संभव नहीं है । अतः आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध है।

दिनांक 04.07.2017 को आवेदक श्री सौरभ चक्रवर्ती द्वारा कथन किया कि अनावेदक द्वारा जो दस्तावेज दिये हैं उससे भी आवेदक के कथन को बल मिलता है कि विगत तीन वर्षों में संबंधित मकान में कम खपत होता था एवं तीन माह जुलाई 2014 मार्च 2016 एवं अप्रेल 2016 में मकान पूर्णतः बन्द था, जिस कारण जीरो खपत मीटर में दर्ज हुआ । अनावेदक कम्पनी के पास ठोस आधार होना चाहिए जिससे वह अतिरिक्त बिल आवेदक के विरूद्ध प्रेषित करे चूँकि मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट में पुराना मीटर अनियमित अर्थात् कभी तेज कभी धीमा और कभी बराबर पाया गया किन्तु मीटर कभी बन्द नहीं पाया गया, जैसा कि उक्त तीन माह में जीरो दर्ज हुआ । इस कारण माननीय फोरम से निवेदन है कि आवेदक के उपर अतिरिक्त बिल की राशि रू. 15296/– को समाप्त करने का कष्ट करें ।

फोरम द्वारा प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा किये गये कथनों तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अनावेदक द्वारा आवेदक उपभोक्ता के परिसर में स्थापित विद्युत मीटर की जांच में मीटर की कार्यप्रणाली संदिग्ध पाये जाने पर मीटर की जांच परीक्षण शाला में उपभोक्ता की उपस्थिति में करवाई गयी, जिसमें मीटर डिफेक्टिव पाये जाने पर उपभोक्ता के संयोजित विद्युत भार 3585 वाट्स की विद्युत प्रदाया संहिता के अनुसार LDHF सूत्र के अनुसार एक वर्ष की बिलिंग की गयी तथा जिसमें बिलिंग की गयी अवधि में मीटर में रिकार्ड की गयी यूनिटों का नियमानुसार संयोजन भी किया गया।

अनावेदक द्वारा फोरम के निर्देश पर आवेदक को विद्युत कनेक्शन संबंधी माह मार्च 2015 के पूर्व के 3 वर्षो का बिलिंग विवरण प्रस्तुत कर कथन किया कि आवेदक के मीटर में माह फरवरी 2014 के पूर्व प्रतिमाह खपत 200 यूनिट से अधिक रही है तथा अप्रैल 2014 के पश्चात मीटर की खपत में अचानक गिरावट होना प्रतीत होती है। उपभोक्ता को जो पूरक देयक जारी किया गया है वह पूर्व की खपत से मिलान होता है जो कि सही प्रतीत होता है। परीक्षण में पाया कि आवेदक को मार्च 2017 में नये स्थापित मीटर में दर्ज खपत का अप्रैल एवं मई 2017 में जारी क्रमशः 218 एवं 414 यूनिट के बिलों से भी यह तथ्य स्थापित होता है कि उपभोक्ता को जारी किया गया अतिरिक्त बिल नियमानुसार उचित एवं न्याय संगत है। फोरम आवेदक के इस कथन से सहमत है कि उसका मकान माह मार्च 2016 एवं अप्रैल 2016 में पूर्णतः बंद था, जिस कारण मीटर में जीरो खपत दर्ज हुयी।

फोरम का निर्णय :–फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक के मीटर की डिफेक्टिव अवधि एक वर्ष माह अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक के किये गये अतिरिक्त बिलिंग में माह अप्रैल 2016 में मकान बंद होने के कारण पाये गये भार के आधार परLDHF के आधार पर 11 माह का ही अतिरिक्त बिल करे तथा माह अप्रैल 2016 का नियमानुसार न्यूनतम का बिल किया जाये।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **राजीव अग्रवाल**

निरंतर.....

अतः प्रकरण निर्णीत होकर प्रकरण को समाप्त किया जाता है। अनावेदक पालन प्रतिवेदन आदेश प्रप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करे।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 7.07.2017
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)(एस.एस.मंडलोई) राजीव अग्रवाल
सदस्य (राजस्व एवं लेखा) सदस्य (अभियांत्रिकी) (अध्यक्ष)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी/37/2017

07.03.2017

श्री प्रदीप जाधव,
स्व. श्री भाऊ साहेब जाधव, **(आवेदक)**
ग्राम हसनाबाद, पोस्ट, मिर्जापुर,
तह.विदिशा जिला विदिशा।(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, (सं./सं.) संभाग,**(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,विदिशा (म.प्र.)

आदेश

आज–04.07.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/37दिनॉक 07.03.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 22.03.17, 07.04.17 20.04.17, 05.05.17, 26.05.17 एवं 14.06.17को सुना गया।

3.प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. आवेदक का कथन :–आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि हमने ग्राम हसनाबाद मिर्जापुर डी.सी. विदिशा में सिंचाई पम्प हेतु अनुदान योजना में दो अलग–अलग आवेदन समस्त कागजी कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त महाप्रबंधक महोदय को पेश किये थे जिसकी मांगी गई समस्त राशि दिनांक 09.01.2015 को जर्ये डी.डी. जमा कर दी थी जो के 30751/– रू. थी दोनो प्रकरण की आवेदन की राशि मिलाकर कुल राशि रू. 61502/– जमा की गई।

ग्राम हसनाबाद जो कि शहर विदिशा की सीमा से लगा हुआ है। ग्राम हसनाबाद के मध्य में से ही एक मात्र टाउन लाईन निकाली गई है जिसकी सप्लाई सटे हुए शहर के तीन वाडो में हो रही है। हसनाबाद में दूर–दूर तक कोई भी ग्रामीण फीडर नही है। आप स्वयं ही जांच करवा सकते

है। मौजूदा टाउन लाईन से ही हसनाबाद में लगभग 7–8 ट्रासफार्मर अनुदान योजना में स्वीकृत कर सिचाई पम्प हेतु 3 एच.पी. के कनेक्शन दिये गये है।

उपमहाप्रबंधक के पत्र क्रमांक 857 दिनांक 16.05.2015 से ज्ञात हुआ की हम दोनों आवेदकों को 57381/– रू. अतिरिक्त अंतर राशि जमा करना है कि जिसमें उन्होने लिखा है कि हमें पूर्व में भी सूचित किया गया है जो कि गलत है हमें कोई सूचना नही दी गई। अगर उन्होने कोई सूचना दी है तो बताऐ किस तारीख में सूचना दी । उपरोक्त सूचना पत्र का जबाव हमने दिनांक 21.05. 2015 एक आवेदन पेश किया है जो संलग्न है उसे पढा जाये। उपरोक्त राशि रू. 57381/– सात दिन में जमा करना है हम लोग लघु कृषक है वो भी उस समय प्राकृतिक आपदा (ओलो से) पीडित थे। अप्रैल माह में फसल ही नही आई तो मई में अंतर राशि कहा से जमा करते। हमें दिनांक 12.05.2015 को ही कार्यपालन यंत्री श्री समीर शर्मा जी से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि हमें टाउन लाईन से ट्रांसफार्मर नही मिलेगा ग्रामीण फीडर से लाईन दी जावेगी। और दोनो अलग–अलग आवेदन के कार्यो को एक करते हुये कार्य किया जावेगा। इस प्रकार अपनी मनमर्जी करते हुऐ दो अलग प्रकरणों को एक प्राक्कलन में कर दिया गया। जो कि दोनो आवेदन अलग–अलग थे और मौजूदा टाउन लाईन से अंडर स्टीमेंट में कार्य हो सकता था। दिनांक 31.10.2015 को एक आवेदन के साथ महाप्रबंधक जाफरी साहब से चर्चा की तो उन्होने आवेदन लेने से ही इंकार कर दिया और बोले उपमहाप्रबंधक से मिलों इसके बाद 2016 में मई माह में फसल आने पर दिनांक 03.05.2016 को उपमहाप्रबंधक महोदय समीर शर्मा से निवेदन किया कि हमें ग्रामीण फीडर से ही लाईन देवे और हम अंतर राशि जमा करने को तैयार हुए तो अंतर राशि रू. 57381/– रू. से बढाकर राशि रू. 74238/– मांग पत्र दे दिया गया।

चूकिं हमें सिंचाई के लिये कनेक्शन की आवश्यकता थी तो भी हमने राशि रू. 74238/– दिनांक 01.01.2016 को जमा कर दिये जर्ये डी.डी. का कृप्या अवलोकन करे। इसके बाद पुनः सर्वे हुआ और एस.टी.सी. को वर्क आर्डर जारी हुआ ठेकेदार को काम शुरू करने का आदेश मिला तो ठेकेदार ने स्थल पर जाकर पुनः अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कि सर्वे मुताविक वहा ग्रामीण फीडर की कोई 11 के.व्ही की लाईन ही नही है। J.E मिर्जापुरडी.सी. ने समीर शर्मा के इशारे पर ही गलत सर्वे रिपोर्ट बनाई थी ताकि बाद मे W/o निरस्त किया जा सके दिनांक 04.10.2016 का प्रबंधक महोदय का पत्र पढे समीर शर्मा की हठ धर्मिता के चलते यह कार्य आज तक पूर्ण नही हो सका।

जब तक आप के यहॉ नियम है कि प्रास्तावित कार्य पूर्ण होने तक उससे जुड़े हुए दूसरे कार्यो की स्वीकृति नही दी जा सकती है।

श्रीमति रेणुका माहेश्वरी प्रकरण जिसका यह हवाला दे रहे है उसमें भी उनके पूरे पैसे दो साल तक जमा रहे। जब काम ही न हो रहा है तो उन्होने पैसे वापिस ले लिये दो साल में काम क्यों नही किया गया । जब वहा 11 के.व्ही. की लाईन थी नही तो हमारा सर्वे प्रबंधक ने किस आधार पर कर दिया। सन् 2013 में मुख्य मंत्री के संकल्प योजना में सिंचाई पम्पों के लिये फीडर विभक्तीकरण का आदेश दिया है तो यह कार्य करते तो हमें अलग से ही ग्रामीण फीडर मिल जाता।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) राजीव अग्रवाल

निरंतर.....

मैनें समीर शर्मा से उसे आदेश (सरक्यूलर) की कॉपी मागी जिसमें टाउन लाईन से सिंचाई पम्प कनेक्शन नही देने का आदेश है। जिसकी वे हरदम दुहाई देते थे। उस आदेश की कॉपी भी नही दी अगर कोई आदेश ऊपर से थातो उन्हें दिखाने या देने में एतराज क्यों था।

हमारी जनवरी 2015 में जमा राशि के बाद दूसरे लोगे के उसके बाद अनुदान योजना में कार्य किये गये रिकार्ड सामने स्थिति स्पष्ट हो जावेगी। अगर हम हमारी कुल जमा राशि रू. 1,35,7410/– में डिपोजिट वर्क स्कीम में मात्र 5 प्रतिशत सुपर विजन चार्ज जमा करके करवाते तो यह काम जनवरी 2015 में ही हो जाता हम उससे भी वंचित कर दिये गये।

ऐसा नही है कि उपमहाप्रबंधक समीर शर्मा के कार्यकाल में नियमों से हट कर कार्य नही हुए हो जिसकी समस्त जानकारी मैरे पास है जो कि भविष्य में विधान सभा प्रश्न बनेगे। जिसका जबाव विभाग को व उनको देना होगा। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार चर्मसीमा पर था जिसका जीवंत उदाहरण है रिश्वत लेकर मेरे ही गांव में उसी टाउन लाईन से एक सिंचाई पम्प कनेक्शन उनके ही कार्यकाल में दिया गया है इसके अलावा ओर भी कई कॉलोनियों में कैसे कैसे काम हुए है वो बाद में विधान सभा में आपके सामने आएगे।

इस कारण में सर्वप्रथम तो हमें एक मात्र टाउन लाईन से ही ट्रांसफर्मर चाहिये व सिंचाई हेतु 3 एच.पी. कनेक्शन स्वीकृत किये जावे वगैर किसी ठोस कारण के हमे टाउन से न जोड़ते हुए ग्रामीण फीडर से ही लाईन देना है तो नये सर्वे व स्टीमेंट के मुताबिक अंतर राशि कम्पनी वहन करे या जिम्मेदार अधिकारी समीर शर्मा तत्कालीन श्री प्रबंधक धुर्वे से जमा कराई जावे।

5. अनावेदक का कथन :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन कियाश्री प्रदीप जाधव पुत्र स्व. श्री भाऊ साहेब जाधव निवासी ग्राम हसनाबाद पोस्ट मिर्जापुर तह. व जिला विदिशा ने सिंचाई कार्य हेतु 3 एच.पी. कनेक्शन बावत् शासन की अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्राक्कलन क्रमांक 110411–15–009 के अंतर्गत माह जनवरी 2015 में अनुदान राशि जमा की थी एवं बाद में अंतर राशि जमा की गई परन्तु कनिष्ठ यंत्री महोदय के द्वारा गलत सर्वे करने के कारण तथा वर्क आर्डर होने के बाद ठेकेदार के माध्यम से आवेदक को ज्ञात हुआ कि 11 के.व्ही. लाईन स्थापित ही नही है। आवेदक को शहरी लाईन से कनेक्शन चाहिये कनेक्शन में बिलंब के कारण अर्थिक हानि पहुंचाई गई है इस आशय का अभ्यावेदन माननीय फोरम प्रस्तुत किया गया है।

1. आवेदक ने आर–1 क्रमांक 508–09 दिनांक 04.01.2015 से 3–3 हा.पा. सिंचाई कार्य हेतु मिर्जापुर वि.के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था एवं नियमानुसार अंश राशि रू. 28800/– आर–11 नं. 1005/35 1005/36 दिनांक 16.01.2015 से जमा की थी।
2. आवेदक के कार्य हेतु विभाग कार्यालय द्वारा प्राक्कलन क्रं. 21–179–110411–15–009 दिनांक 09.05.2015 राशि रू. 357381/– का स्वीकृत किया गया था जिसमें 11 के.व्ही. 0.76 कि.मी. 1/25 के.व्ही.ए. ट्रांसफर्मर, 0.38 कि.मी. एल.टी. लाईन का विस्तार कार्य शामिल था।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **राजीव अग्रवाल**

निरंतर.....

3. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 875 दिनांक 16.05.2015 से प्राक्कलन की अतिरिक्त विस्तार कार्य लागत रू. 57381/– का डिमांड नोट जारी किया गया। आवेदक द्वारा राशि जमा नही की गई।
4. आवेदक द्वारा प्राक्कलन की अतिरिक्त विस्तााार कार्य लागत जमा न करने के कारण प्राक्कलन स्वतः निरस्त हुआ।
5. दिनांक 13.08.2015 के उपरांत शासन की अनुदान योजना में फण्ड की उपलब्धता न होने के कारण माह अप्रैल 2016 तक योजना बंद रही।
6. माह अप्रैल 2016 के पश्चात् योजना में फण्ड उपलब्ध होने पर पूर्व स्वीकृत प्राक्कलन को ही पुनः स्वीकृत किया गया जिसकी विस्तार कार्य लागत रू. 365835/–, प्राक्कलन क्रं. 21–179–110411–16–0187 दिनांक 28.05.2016 में 11 के.व्ही. 0.76 किमी., 1/25 के.व्ही.ए ट्रांसफर्मर 0.38 कि.मी. एल.टी.लाईन का विस्तार कार्य शामिल था।
7. आवेदक द्वारा दिनांक 01.06.2016 को प्राक्कलन की अंतर राशि रू. 65835/– एवं अंश राशि अंतर रू. 4200/– प्रत्येक उपभोक्ता की क्रमशः एम.आर. क्रमांक 1540/29 दिनांक 01.06.2016 व 1540/30 दिनांक 01.06.2016 एवं 1540/31 दिनांक 01.06.2016 से जमा की गई।
8. आवेदक के कार्य हेतु इस कार्यालय द्वारा एस.टी.सी. संभाग को कार्यादेश क्रं. 156/5156 दिनांक 08.06.2016 जारी किया गया।
9. प्रबंधक एस.टी.सी ने पत्र क्रमांक 584 दिनांक 27.09.2016 से उक्त कार्यादेश आपत्ति के साथ वापिस किया गया जिसमें जानकारी दी गई कि आवेदक का कार्य श्रीमति रेणुका माहेश्वरी के सिंचाई पम्प के कार्य पर आधारित था एवं श्रीमति रेणुका माहेश्वरी द्वारा दिनांक 04.06.16 को आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया कि उन्हें कार्य नही कराना है एवं उनके द्वारा जमा राशि वापिस ले ली गई है। श्रीमति रेणुका माहेश्वरी के सिंचाई कार्य हेतु कार्यालय द्वारा प्राक्कलन क्रं. 21–179–110411–14–0213 दिनांक 30.07.2014 राशि रू. 253106/– जिसमें 0.675 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन व 1 नं. 25 के.व्ही. ट्रांसफर्मर स्वीकृत था जिसका कार्यादेश क्रं. 203/8203 दिनांक 08.08.2014 को जारी किया गया था यह विवादित होने के कारण एस.टी.सी. संभाग द्वारा वापिस कर दिया गया।
10. इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 7542 दिनांक 20.01.2016 के द्वारा आवेदक का कार्य न हो पाने के संबंध में सूचित किया गया एवं पुनरीक्षित सर्वे के अनुसार कार्य कराने हेतु आवेदक से सहमति चाही गई।
11. आवेदक को वस्तुस्थिति से पत्र क्रमांक 5104 दिनांक 04.10.2016 के द्वारा अवगत कराया गया एवं विस्तार कार्य लागत बढने के संबंध में सूचना देते हुये सहमति चाही गई जिसका आवेदक ने कोई उत्तर नही दिया।
12. आवेदक को इस कार्यालय के पत्र क्रं. 8689 दिनांक 15.02.2017 से पुनः स्मरण कराया गया व सहमति बावत् लेख किया गया।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **राजीव अग्रवाल**

निरंतर.....

13. आवेदक ने दिनांक 25.02.2017 को पत्र प्रेषित करते हुये अनेक प्रकार की आपत्तियां बताई एवं सहमति प्रदान नही की।
14. अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पत्र क्रं. 9120 दिनांक 07.03.2017 के माध्यम से आवेदक को अंतिम स्मरण पत्र लिखा जिसमें सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा की गइ राशि को वापिस किये जाने की कार्यवाही का उल्लेख किया गया।
15. आवेदक के कार्य का सम्रग पर न हो पाने मे बिलम्ब होने का मूल कारण उसके कार्य हेतु स्वीकृत प्राक्कलन श्रीमति रेणु माहेश्वरी के सिंचाई कार्य पर आधारित था एवं श्रीमति रेणु माहेश्वरी द्वारा कार्य न कराये जाना एवं राशि वापिस लिये जाने से आवेदक श्री प्रदीप जाधव के संचाई पम्प का कार्य नही हो पाया है। विभाग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी ने आवेदक से किसी भी प्रकार द्वेषभाव नही रखा है एवं लगाये गये आरोप सारहीन है।
16. आवेदक नियमानुसार नवीन प्रक्रिया अपनाते हुये अपने सिंचाई ट्यूब वैल के विस्तार कार्य के लिये रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे विद्युत कनेक्शन विद्यमान विद्युत लाईन से प्रदान कर दिया जावेगा।

आवेदक के सिंचाई पम्प का कार्य श्रीमति रेणु माहेश्वरी के सिंचाई पम्प कार्य पर आधारित होने के कारण नही हो पाया है यदि आवेदक नियमानुसार अपने सिंचाई कार्य हेतु पुनः पंजीयन करवाता है तो क्षेत्र में विद्यमान विद्युत लाईन से कनेक्शन प्रदान कर दिया जावेगा। वर्तमान मे विवाद की कोई विषयवस्तु शेष न होने के कारण माननीय फोरम से निवेदन है कि प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करे।

6.फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

दिनांक 22.03.2017 को प्रकरण में आवेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री दीपक जाघव द्वारा प्रकरण में कथन किया कि मेरी कृषि भूमि ग्राम हसनाबाद में मिरजापुर डी.सी. के अन्तर्गत स्थित है । मैने कृषि कार्य हेतु 3 एच.पी. का पम्प कनेक्शन हेतु विद्युत विभाग में दि. 09/01/15 को राशि रू. 30,751/– जमा की थी । ग्राम हसनाबाद विदिशा शहर की सीमा से लगा हुआ होने के कारण ग्राम के मध्य से ही एक टाउन फीडर की लाईन निकली हुई है तथा दूर–दूर तक ग्रामीण फीडर स्थित न होने के कारण मुझे टाउन फीडर से ही कनेक्शन दिया जा सकता है परन्तु आज दिनांक तक मुझे विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया । मेरे द्वारा मेरे परिवार का एक ओर कनेक्शन श्री उदय जाघव के नाम से भी मांगा गया है उसमें भी विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है । मुझे उपमहाप्रबंधक, विदिशा के पत्र दिनांक 16/05/15 द्वारा सूचित किया गया कि आपको टाउन फीडर से विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है उसके स्थान पर ग्रामीण फीडर से ही लाईन दी जाएगी और हमें दोनों कनेक्शन हेतु राशि रू. 57381/– अतिरिक्त अन्तर की राशि और जमा करना होगी । हम अन्तर राशि जमा करने को तैयार हुए तो हमें अन्तर राशि रू. 57381/– से बढ़ाकर राशि रू. 74238/– का

मांग पत्र दे दिया गया । चूँकि हमें सिंचाई कार्य हेतु कनेक्शन की अत्यधिक आवश्यकता थी तो भी हमने डी.डी. के माध्यम से दि. 01/06/16 को राशि जमा कर दी गई । इसके बाद भी हमारे कनेक्शन हेतु लाईन विस्तार कार्य नहीं कराया गया और न ही हमें कनेक्शन दिया गया अगर हम दोनों कनेक्शन की कुल जमा राशि रू. 1,35,740/– डिपाजिट वर्क की स्कीम में मात्र 5 प्रतिशत सुपरवीजन चार्ज जमा करके करवाते तो यही कार्य जनवरी 2015 में ही हो जाता हमें उससे भी वंचित कर दिया गया।

अनावेदक की ओर से श्री दीपक श्रीवास्वत, विधि सहायक, सभागीय कार्यालय विदिशा द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण से संबंधित अभिलेख संकलित करने में समय लग रहा है अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि अनावेदक को प्रकरण में विधि सम्मत उत्तर प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर प्रदाय किया जाना न्याय हित में आवश्यक है । जिसे फोरम ने स्वीकार किया एवं अनावेदक को निर्देशित किया कि प्रकरण से संबंधित जवाबी दस्तावेज के साथ उपभोक्ता को 2009 में कनेक्शन प्रदान किये गये अनुबंध की प्रति एवं उपभोक्ता पासबुक आगामी तिथि को प्रस्तुत की जाये।

दिनांक 07.04.2017 को आवेदक द्वारा कथन किया गया कि विभाग से मेरा प्रश्न है कि जब टाउन फीडर से मेरी जानकारी के अनुसार छः माह पूर्व एक अन्य उपभोक्ता श्रीमती हेतल तायल पति श्री दिनेश तायल को कनेक्शन क्रं. 99–14–560510 कनेक्शन प्रदान किया गया है तो टाउन फीडर से मुझे विद्युत कनेक्शन क्यों नहीं प्रदान किया जा रहा है और मुझे टाउन फीडर से कनेक्शन देने में बार–बार आपत्ति लगाई जा रही है यदि टाउन फीडर से श्रीमती हेतल तायल पति श्री दिनेश तायल को कनेक्शन दिया जा सकता है तो मुझे भी कनेक्शन दिया जाए।

अनावेदक द्वारा कथन किया गया कि आवेदक द्वारा माननीय फोरम के समक्ष किये गये कथन में बताये गये तथ्यों के संबंध में गहन परीक्षण उपरान्त उत्तर दिया जाना संभव होगा । इसलिये आगामी तिथि प्रदान करने की कृपा करें ।

प्रकरण में दिनांक 26.05.2017 की सुनवाई के दौरान फोरम द्वारा अनावेदक को निदेर्शित किया कि प्रकरण संबंधित ग्रामीण फीडर एवं शहरी फीडर से संबंधित नक्शा एवं अन्य दस्तावेज तथा स्वीकृत प्राक्कलन से संबंधित समस्त दस्तावेज अगामी दिनांक 14.06.2017 को फोरम के समक्ष प्रस्तुत करे। प्रकरण में आवेदक का जो प्राक्कलन स्वीकृत किया था वह कृषि पम्प श्रीमति रैनूका महेश्वरी के सिंचाई हेतु स्वीकृत प्राक्कलन पर आधारित था। उस प्राक्कलन की प्रति एवं आवेदक के प्राक्कलन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करे। ग्रामीण एवं शहरी फीडर से सिंचाई कार्य हेतु यदि किसी तरह के नियम निधारित है तो नियम की प्रति भी प्रस्तुत करे।

दिनांक 14.06.2017 को अनावेदक की ओर से उपस्थित, श्री विनोद भदौरिया, उपमहाप्रबंधक विदिशा द्वारा कथन किया कि दिनांक 05/05/17 को आवेदक के विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये जाने के संबंध में दो पृष्ठीय बिन्दुवार जानकारी माननीय फोरम को प्रस्तुत की जा चुकी है । आवेदक के कनेक्शन हेतु स्वीकृत प्राक्कलन क्रं. 21–179–110411–16–0187 दिनांक 28/05/16 को स्वीकृत किया गया था, जो कि अन्य उपभोक्ता श्रीमती रेणुका महेश्वरी के सिंचाई पम्प के प्रस्तावित कार्य पर

आधारित था, जिनका स्वीकृत प्राक्कलन क्रं. 21–179–110411–14–0213 दिनांक 30/07/14 था । इस कार्य का कार्यादेश एस.टी.सी. संभाग को जारी किया गया था । जिसमें प्रबंधक, एस.टी.सी. ने अपने पत्र क्रं. 584 दि. 27/09/16 से यह कार्यादेश आपत्ति के साथ वापस कर उल्लेखित किया गया कि समीप वाले कृषक कार्य नहीं करने दे रहे हैं एवं कुछ के द्वारा प्लॉट काट कर विक्रय कर दिया गये है । इस कारण कार्य होना संभव नहीं है एवं उपभोक्ता रेणू महेश्वरी द्वारा भी कार्य न होने कारण भी राशि वापस करने हेतु अपनी सहमति दि. 06/04/16 को प्रस्तुत की । उक्त निर्मीत परिस्थितियों के कारण उपभोक्ता श्री उदय जाधव एवं श्री प्रदीप जाधव का विस्तार कार्य किया जाना संभव नहीं है। अतः प्राक्कलन क्रं.21–179–110411–16–0187 दिनांक 28/05/16 निरस्त कर उपभोक्ता को राशि वापस किया जाना उचित है । अगर उपभोक्ता नियमानुसार नवीन प्रक्रिया अपनाते हुए अपने सिंचाई ट्यूब वैल के नवीन कनेक्शन हेतु रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे विद्युत कनेक्शन विद्यमान विद्युत लाईन से प्रदान कर दिया जावेगा ।

अतः आवेदक की शिकायत का नियमानुसार निराकरण कर दिया गया है । इसलिये माननीय फोरम से निवेदन है प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें ।

आवेदक की ओर से उपस्थित उनके प्रतिनिधि श्री दीपक जाधव ने कथन किया कि मैने 01.01. 2015 से दो कनेक्शन अनुदान योजना में सिंचाई के लिए टाउन लाईन से लेने के लिए आवेदन दिया था, विभाग के मांगअनुसार समस्त राशि मेरे द्वारा जमा कर दी गई । इसके बाद भी अतिरिक्त राशि विभाग द्वारा मांगने पर मेरे द्वारा जमा की गई परन्तु दि. 01.01.15 से आज दिनांक 14.06.17 तक मुझे कोई कनेक्शन टाउन लाईन अथवा ग्रामीण फीडर से नहीं दिया गया । विदिशा विभाग की कार्यवाही से त्रस्त होकर मैंने 25.02.17 को फोरम के समक्ष शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें दौराने मुकदमा मैने अपने सभी दस्तावेजी सबूत एवं अन्य प्रपत्र पेश कर दिये हैं जिसमें मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी विदिशा के त्तकालीन उपमहाप्रबंधक श्री समीर शर्मा एवं वर्तमान में पदस्थ उपमहाप्रबंधक महोदय श्री विनोद भदौरियाजी ने भी गलत एवं भ्रामक जानकारियां माननीय फोरम के समक्ष पेश की मेरे द्वारा मांगी गई मुख्य जानकारी की श्रीमती हेतल तायल को टाउन लाईन से सिंचाई कनेक्शन किस आधार किस नियम के तहत दिया गया है । जिसकी जानकारी आज तक फोरम के समक्ष पेश नहीं की गई । इस कनेक्शन के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है । यह फोरम के लिए जानना अतिआवश्यक है । इसके बाद इन तीन वर्षो में जो भी कार्यवाही होती रही वो सारे प्रपत्र मैने पेश कर दिये हैं, दौरानेमुकदमा उपमहाप्रबंधक महोदय को इस प्रकरण में नियमानुसार कोई भी कार्यवाही करने का हक नहीं था । जब तक फोरम का फैसला नहीं आता है परन्तु यह सारी कार्यवाही की गई है । चूँकि मेरे हर आवेदन में टाउन लाईन से कनेक्शन लेने का निवेदन है राशि जमा है फिर किस नियम के आधार पर यह कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है । वह नियम भी पेश नहीं किया गया । मौजूदा स्थिति में जो नियम चल रहे हैं माह 9/16 से लागू किये गये हैं जब कि हम 01.01.15 के आवेदक हैं वह नियम हम पर लागू नहीं होते हैं । मुझे ग्राम हसनाबाद में मौजूदा एक मात्र टाउन लाईन से ही कनेक्शन चाहिए जो उनके नियमानुसार मीटर लगा कर ही दिये जा सकते हैं । हम मीटर युक्त कनेक्शन लेने को तैयार हैं । माननीय फोरम से निवेदन है कि मेरे समस्त दस्तावेजों का गंभीरता से अवलोकन करते हुए मेरी शिकायत पर न्याय करते हुए मुझे टाउन लाईन से कनेक्शन प्रदान करने का कष्ट करें ।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **राजीव अग्रवाल**

निरंतर.....

फोरम द्वारा प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की समीक्षा की गयी। फोरम द्वारा अपनी समीक्षा में पाया गया कि आवेदक द्वारा माह जनवरी 2015 में कृषि पंप हेतु विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु अनावेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर अनावेदक द्वारा आवेदक से श्री उदय जाधव और श्री प्रदीप जाधव के नाम से दो कृषि पंपो हेतु विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 09.05.2015 को अनुदान योजना के अंतर्गत लाईन विस्तार कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। उक्त प्राक्कलन के अंतर्गत प्रास्तवित कार्य एक अन्य उपभोक्ता श्रीमति रेणु माहेश्वरी के कृषि पंप हेतु स्वीकृत लाईन विस्तार कार्य के पूर्णता पर आधारित था। जिसके संबंध में प्रबंधक (एस.टी.सी) विदिशा द्वारा अनावेदक को अपने पत्र दिनांक 02.06.2015 से अवगत कराया गया कि प्राक्कलन में प्रास्तावित नक्शे के अनुसार वहां के समीप वाले कृषक कार्य नही करने दे रहे है, ओर कुछ के द्वारा प्लाट काटकर विक्रय कर दिये गये है। अतः कार्य होना संभव नही है, ओर यह भी कि 0.42 किमी. 11 के.व्ही. अतिरिक्त लाईन डाली जाने पर लाईन विस्तार कार्य किया जा सकेगा।

अनावेदक ने अपने पत्र दिनांक 20.01.2016 के द्वारा श्रीमति रेणु माहेश्वरी को उपरोक्त वस्तुस्थिति से सूचित करते हुये लेख किया गया कि यदि आप प्राक्कलन पुनरीक्षित कराना चाहते है तो इस हेतु आवेदन प्रेषित करें ताकि पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में यदि आप कार्य नही कराना चाहते तो आपके द्वारा जमा की गई राशि वापसी हेतु आवेदन एवं रसीद की प्रति प्रेषित करे। तत्पश्चात श्रीमति रेणु माहेश्वरी द्वारा दिनांक 06.04.2016 के आवेदन पत्र से अनावेदक को जमा राशि वापिस करने हेतु लेख किया गया।

आवेदक को कृषि पंप कनेक्शन हेतु प्रस्तावति लाईन विस्तार कार्य का प्राक्कलन श्रीमति रेणु माहेश्वरी के कृषि पंप कनेक्शन के कार्य पर आधारित कर बनाया गया जो नियमानुसार न होकर नियम विरूद्ध बनाया गया और जबकि श्रीमति रेणु माहेश्वरी द्वारा दिनांक 06.04.2016 के पत्र द्वारा दो वर्षो में भी कार्य न कराये जाने के कारण अपनी राशि वापिस करने का लेख किया गया तब भी आवेदक के कृषि पंप कनेक्शनों के लाईन विस्तार कार्य के प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर दिनांक 28.05.2016 को प्राक्कलन स्वीकृत किया गया और दिनांक 01.06.2016 को अतिरिक्त राशि जमा करायी गयी। अनावेदक की यह कार्यवाही उसकी घोर लापरवाही एवं सेवा में कमी को दर्शाता है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत एक अन्य दस्तावेजों में स्थल का सर्वे करने वाले कर्मचारी द्वारा टीप अंकित की गयी कि '' रेणु माहेश्वरी तक कोई 11 के.व्ही. लाईन नही है जो नक्शा दिया है, वह सही नही है।'' जिससे स्पष्ट है कि आवेदक के कार्य का प्राक्कलन कितनी लापरवाही पूर्वक बनाया गया। निश्चित ही तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी विभागीय कार्यवाही के पात्र है।

फोरम द्वारा भी अनावेदक से टाउन फीडर से कनेक्शन नही दिये जाने संबंधी यदि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्पष्ट नियम हो तो प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया था। परन्तु दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। यदि कृषि पंप का कनेक्शन टाउन फीडर से दिये जाने में किसी प्रचलित योजना में प्रावधान नही थे तो उपभोक्ता को पूर्ण जमा योजना में कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही भी नही की गई। यह कृत्य भी सेवा में कमी दर्शाता है।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **राजीव अग्रवाल**

निरंतर.....

आवेदक द्वारा कथन किया कि मेरे हर आवेदन में टाउन लाईन से कनेक्शन लेने का निवेदन है, राशि जमा है फिर किस नियम के आधार पर कनेक्शन नही दिया जा रहा है। मुझे ग्राम हसनाबाद में मौजूदा एक मात्र टाउन लाईन से ही कनेक्शन चाहिये जो नियमानुसार मीटर लगाकर ही दिये जा सकते है। हम मीटर युक्त कनेक्शन लेने को तैयार है।

फोरम का निर्णय :–फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक के कथन अनुसार ग्राम हसनाबाद में मौजूदा टाउन लाईन से आवेदक के कृषि पंपो हेतु विद्युत कनेक्शन प्रदान करे इस हेतु आवश्यक लाईन विस्तार कार्य की लागत राशि से आवेदक को अवगत कराये तथा आवश्यक होने पर आवेदक की पूर्व में जमा राशि को प्रस्तावित कार्य की लागत राशि में समायोजित कर शेष राशि यदि जमा करायी जाना हो तो जमा कराये और यदि वापसी योग्य निकलती है तो वापिस की जाये। टाउन फीडर से दिये जा रहे कनेक्शन मीटर लगाकर दिये जावे एवं प्रचलित टैरिफ के अनुसार बिलिंग की जावे।

अतः प्रकरण निर्णीत होकर प्रकरण को समाप्त किया जाता है। अनावेदक पालन प्रतिवेदन आदेश प्रप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करे।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 04.07.2017
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)(एस.एस.मंडलोई) **राजीव अग्रवाल**
सदस्य (राजस्व एवं लेखा) सदस्य (अभियांत्रिकी) (अध्यक्ष)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी/38/2017

07.03.2017

श्री उदय जाधव,
स्व. श्री भाऊ साहेब जाधव, **(आवेदक)**
ग्राम हसनाबाद, पोस्ट, मिर्जापुर,
तह.विदिशा जिला विदिशा।(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, (सं./सं.) संभाग,**(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,विदिशा (म.प्र.)

आदेश

आज–04.07.2017 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/38दिनॉक 07.03.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 22.03.17, 07.04.17 20.04.17, 05.05.17, 26.05.17 एवं 14.06.17को सुना गया।

3.प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. आवेदक का कथन :–आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि हमने ग्राम हसनाबाद मिर्जापुर डी.सी. विदिशा में सिंचाई पम्प हेतु अनुदान योजना में दो अलग–अलग आवेदन समस्त कागजी कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त महाप्रबंधक महोदय को पेश किये थे जिसकी मांगी गई समस्त राशि दिनांक 09.01.2015 को जर्ये डी.डी. जमा कर दी थी जो के 30751/– रू. थी दोनो प्रकरण की आवेदन की राशि मिलाकर कुल राशि रू. 61502/– जमा की गई।

ग्राम हसनाबाद जो कि शहर विदिशा की सीमा से लगा हुआ है। ग्राम हसनाबाद के मध्य में से ही एक मात्र टाउन लाईन निकाली गई है जिसकी सप्लाई सटे हुए शहर के तीन वाडो में हो रही है। हसनाबाद में दूर–दूर तक कोई भी ग्रामीण फीडर नही है। आप स्वयं ही जांच करवा सकते

है। मौजूदा टाउन लाईन से ही हसनाबाद में लगभग 7–8 ट्रासफार्मर अनुदान योजना में स्वीकृत कर सिचाई पम्प हेतु 3 एच.पी. के कनेक्शन दिये गये है।

उपमहाप्रबंधक के पत्र क्रमांक 857 दिनांक 16.05.2015 से ज्ञात हुआ की हम दोनों आवेदकों को 57381/– रू. अतिरिक्त अंतर राशि जमा करना है कि जिसमें उन्होने लिखा है कि हमें पूर्व में भी सूचित किया गया है जो कि गलत है हमें कोई सूचना नही दी गई। अगर उन्होने कोई सूचना दी है तो बताऐ किस तारीख में सूचना दी । उपरोक्त सूचना पत्र का जबाव हमने दिनांक 21.05. 2015 एक आवेदन पेश किया है जो संलग्न है उसे पढा जाये। उपरोक्त राशि रू. 57381/– सात दिन में जमा करना है हम लोग लघु कृषक है वो भी उस समय प्राकृतिक आपदा (ओलो से) पीडित थे। अप्रैल माह में फसल ही नही आई तो मई में अंतर राशि कहा से जमा करते। हमें दिनांक 12.05.2015 को ही कार्यपालन यंत्री श्री समीर शर्मा जी से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि हमें टाउन लाईन से ट्रांसफार्मर नही मिलेगा ग्रामीण फीडर से लाईन दी जावेगी। और दोनो अलग–अलग आवेदन के कार्यो को एक करते हुये कार्य किया जावेगा। इस प्रकार अपनी मनमर्जी करते हुऐ दो अलग प्रकरणों को एक प्राक्कलन में कर दिया गया। जो कि दोनो आवेदन अलग–अलग थे और मौजूदा टाउन लाईन से अंडर स्टीमेंट में कार्य हो सकता था। दिनांक 31.10.2015 को एक आवेदन के साथ महाप्रबंधक जाफरी साहब से चर्चा की तो उन्होने आवेदन लेने से ही इंकार कर दिया और बोले उपमहाप्रबंधक से मिलों इसके बाद 2016 में मई माह में फसल आने पर दिनांक 03.05.2016 को उपमहाप्रबंधक महोदय समीर शर्मा से निवेदन किया कि हमें ग्रामीण फीडर से ही लाईन देवे और हम अंतर राशि जमा करने को तैयार हुए तो अंतर राशि रू. 57381/– रू. से बढाकर राशि रू. 74238/– मांग पत्र दे दिया गया।

चूकिं हमें सिंचाई के लिये कनेक्शन की आवश्यकता थी तो भी हमने राशि रू. 74238/– दिनांक 01.01.2016 को जमा कर दिये जर्ये डी.डी. का कृप्या अवलोकन करे। इसके बाद पुनः सर्वे हुआ और एस.टी.सी. को वर्क आर्डर जारी हुआ ठेकेदार को काम शुरू करने का आदेश मिला तो ठेकेदार ने स्थल पर जाकर पुनः अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कि सर्वे मुताविक वहा ग्रामीण फीडर की कोई 11 के.व्ही की लाईन ही नही है। J.E मिर्जापुरडी.सी. ने समीर शर्मा के इशारे पर ही गलत सर्वे रिपोर्ट बनाई थी ताकि बाद मे W/o निरस्त किया जा सके दिनांक 04.10.2016 का प्रबंधक महोदय का पत्र पढे समीर शर्मा की हठ धर्मिता के चलते यह कार्य आज तक पूर्ण नही हो सका।

जब तक आप के यहॉ नियम है कि प्रास्तावित कार्य पूर्ण होने तक उससे जुड़े हुए दूसरे कार्यो की स्वीकृति नही दी जा सकती है।

श्रीमति रेणुका माहेश्वरी प्रकरण जिसका यह हवाला दे रहे है उसमें भी उनके पूरे पैसे दो साल तक जमा रहे। जब काम ही न हो रहा है तो उन्होने पैसे वापिस ले लिये दो साल में काम क्यों नही किया गया । जब वहा 11 के.व्ही. की लाईन थी नही तो हमारा सर्वे प्रबंधक ने किस आधार पर कर दिया। सन् 2013 में मुख्य मंत्री के संकल्प योजना में सिंचाई पम्पों के लिये फीडर विभक्तीकरण का आदेश दिया है तो यह कार्य करते तो हमें अलग से ही ग्रामीण फीडर मिल जाता।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **राजीव अग्रवाल**

निरंतर.....

मैनें समीर शर्मा से उसे आदेश (सरक्यूलर) की कॉपी मागी जिसमें टाउन लाईन से सिंचाई पम्प कनेक्शन नही देने का आदेश है। जिसकी वे हरदम दुहाई देते थे। उस आदेश की कॉपी भी नही दी अगर कोई आदेश ऊपर से थातो उन्हें दिखाने या देने में एतराज क्यों था।

हमारी जनवरी 2015 में जमा राशि के बाद दूसरे लोगे के उसके बाद अनुदान योजना में कार्य किये गये रिकार्ड सामने स्थिति स्पष्ट हो जावेगी। अगर हम हमारी कुल जमा राशि रू. 1,35,7410/– में डिपोजिट वर्क स्कीम में मात्र 5 प्रतिशत सुपर विजन चार्ज जमा करके करवाते तो यह काम जनवरी 2015 में ही हो जाता हम उससे भी वंचित कर दिये गये।

ऐसा नही है कि उपमहाप्रबंधक समीर शर्मा के कार्यकाल में नियमों से हट कर कार्य नही हुए हो जिसकी समस्त जानकारी मैरे पास है जो कि भविष्य में विधान सभा प्रश्न बनेगे। जिसका जबाव विभाग को व उनको देना होगा। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार चर्मसीमा पर था जिसका जीवंत उदाहरण है रिश्वत लेकर मेरे ही गांव में उसी टाउन लाईन से एक सिंचाई पम्प कनेक्शन उनके ही कार्यकाल में दिया गया है इसके अलावा ओर भी कई कॉलोनियों में कैसे कैसे काम हुए है वो बाद में विधान सभा में आपके सामने आएगे।

इस कारण में सर्वप्रथम तो हमें एक मात्र टाउन लाईन से ही ट्रांसफर्मर चाहिये व सिंचाई हेतु 3 एच.पी. कनेक्शन स्वीकृत किये जावे वगैर किसी ठोस कारण के हमे टाउन से न जोड़ते हुए ग्रामीण फीडर से ही लाईन देना है तो नये सर्वे व स्टीमेंट के मुताबिक अंतर राशि कम्पनी वहन करे या जिम्मेदार अधिकारी समीर शर्मा तत्कालीन श्री प्रबंधक धुर्वे से जमा कराई जावे।

5. अनावेदक का कथन :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन कियाश्री उदय जाधव पुत्र स्व. श्री भाऊ साहेब जाधव निवासी ग्राम हसनाबाद पोस्ट मिर्जापुर तह. व जिला विदिशा ने सिंचाई कार्य हेतु 3 एच.पी. कनेक्शन बावत् शासन की अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्राक्कलन क्रमांक 110411–15–009 के अंतर्गत माह जनवरी 2015 में अनुदान राशि जमा की थी एवं बाद में अंतर राशि जमा की गई परन्तु कनिष्ठ यंत्री महोदय के द्वारा गलत सर्वे करने के कारण तथा वर्क आर्डर होने के बाद ठेकेदार के माध्यम से आवेदक को ज्ञात हुआ कि 11 के.व्ही. लाईन स्थापित ही नही है। आवेदक को शहरी लाईन से कनेक्शन चाहिये कनेक्शन में बिलंब के कारण अर्थिक हानि पहुंचाई गई है इस आशय का अभ्यावेदन माननीय फोरम प्रस्तुत किया गया है।

1. आवेदक ने आर–1 क्रमांक 508–09 दिनांक 04.01.2015 से 3–3 हा.पा. सिंचाई कार्य हेतु मिर्जापुर वि.के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था एवं नियमानुसार अंश राशि रू. 28800/– आर–11 नं. 1005/35 1005/36 दिनांक 16.01.2015 से जमा की थी।
2. आवेदक के कार्य हेतु विभाग कार्यालय द्वारा प्राक्कलन क्रं. 21–179–110411–15–009 दिनांक 09.05.2015 राशि रू. 357381/– का स्वीकृत किया गया था जिसमें 11 के.व्ही. 0.76 कि.मी. 1/25 के.व्ही.ए. ट्रांसफर्मर, 0.38 कि.मी. एल.टी. लाईन का विस्तार कार्य शामिल था।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **राजीव अग्रवाल**

निरंतर.....

3. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 875 दिनांक 16.05.2015 से प्राक्कलन की अतिरिक्त विस्तार कार्य लागत रू. 57381/– का डिमांड नोट जारी किया गया। आवेदक द्वारा राशि जमा नही की गई।
4. आवेदक द्वारा प्राक्कलन की अतिरिक्त विस्ताार कार्य लागत जमा न करने के कारण प्राक्कलन स्वतः निरस्त हुआ।
5. दिनांक 13.08.2015 के उपरांत शासन की अनुदान योजना में फण्ड की उपलब्धता न होने के कारण माह अप्रैल 2016 तक योजना बंद रही।
6. माह अप्रैल 2016 के पश्चात् योजना में फण्ड उपलब्ध होने पर पूर्व स्वीकृत प्राक्कलन को ही पुनः स्वीकृत किया गया जिसकी विस्तार कार्य लागत रू. 365835/–, प्राक्कलन क्रं. 21–179–110411–16–0187 दिनांक 28.05.2016 में 11 के.व्ही. 0.76 किमी., 1/25 के.व्ही.ए ट्रांसफर्मर 0.38 कि.मी. एल.टी.लाईन का विस्तार कार्य शामिल था।
7. आवेदक द्वारा दिनांक 01.06.2016 को प्राक्कलन की अंतर राशि रू. 65835/– एवं अंश राशि अंतर रू. 4200/– प्रत्येक उपभोक्ता की क्रमशः एम.आर. क्रमांक 1540/29 दिनांक 01.06.2016 व 1540/30 दिनांक 01.06.2016 एवं 1540/31 दिनांक 01.06.2016 से जमा की गई।
8. आवेदक के कार्य हेतु इस कार्यालय द्वारा एस.टी.सी. संभाग को कार्यादेश क्रं. 156/5156 दिनांक 08.06.2016 जारी किया गया।
9. प्रबंधक एस.टी.सी ने पत्र क्रमांक 584 दिनांक 27.09.2016 से उक्त कार्यादेश आपत्ति के साथ वापिस किया गया जिसमें जानकारी दी गई कि आवेदक का कार्य श्रीमति रेणुका माहेश्वरी के सिंचाई पम्प के कार्य पर आधारित था एवं श्रीमति रेणुका माहेश्वरी द्वारा दिनांक 04.06.16 को आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया कि उन्हें कार्य नही कराना है एवं उनके द्वारा जमा राशि वापिस ले ली गई है। श्रीमति रेणुका माहेश्वरी के सिंचाई कार्य हेतु कार्यालय द्वारा प्राक्कलन क्रं. 21–179–110411–14–0213 दिनांक 30.07.2014 राशि रू. 253106/– जिसमें 0.675 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन व 1 नं. 25 के.व्ही. ट्रांसफर्मर स्वीकृत था जिसका कार्यादेश क्रं. 203/8203 दिनांक 08.08.2014 को जारी किया गया था यह विवादित होने के कारण एस.टी.सी. संभाग द्वारा वापिस कर दिया गया।
10. इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 7542 दिनांक 20.01.2016 के द्वारा आवेदक का कार्य न हो पाने के संबंध में सूचित किया गया एवं पुनरीक्षित सर्वे के अनुसार कार्य कराने हेतु आवेदक से सहमति चाही गई।
11. आवेदक को वस्तुस्थिति से पत्र क्रमांक 5104 दिनांक 04.10.2016 के द्वारा अवगत कराया गया एवं विस्तार कार्य लागत बढने के संबंध में सूचना देते हुये सहमति चाही गई जिसका आवेदक ने कोई उत्तर नही दिया।
12. आवेदक को इस कार्यालय के पत्र क्रं. 8689 दिनांक 15.02.2017 से पुनः स्मरण कराया गया व सहमति बावत् लेख किया गया।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **राजीव अग्रवाल**

निरंतर.....

13. आवेदक ने दिनांक 25.02.2017 को पत्र प्रेषित करते हुये अनेक प्रकार की आपत्तियां बताई एवं सहमति प्रदान नही की।
14. अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पत्र क्रं. 9120 दिनांक 07.03.2017 के माध्यम से आवेदक को अंतिम स्मरण पत्र लिखा जिसमें सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा की गइ राशि को वापिस किये जाने की कार्यवाही का उल्लेख किया गया।
15. आवेदक के कार्य का सम्रग पर न हो पाने मे बिलम्ब होने का मूल कारण उसके कार्य हेतु स्वीकृत प्राक्कलन श्रीमति रेणु माहेश्वरी के सिंचाई कार्य पर आधारित था एवं श्रीमति रेणु माहेश्वरी द्वारा कार्य न कराये जाना एवं राशि वापिस लिये जाने से आवेदक श्री उदय जाधव के संचाई पम्प का कार्य नही हो पाया है। विभाग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी ने आवेदक से किसी भी प्रकार द्वेषभाव नही रखा है एवं लगाये गये आरोप सारहीन है।
16. आवेदक नियमानुसार नवीन प्रक्रिया अपनाते हुये अपने सिंचाई ट्यूब वैल के विस्तार कार्य के लिये रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे विद्युत कनेक्शन विद्यमान विद्युत लाईन से प्रदान कर दिया जावेगा।

आवेदक के सिंचाई पम्प का कार्य श्रीमति रेणु माहेश्वरी के सिंचाई पम्प कार्य पर आधारित होने के कारण नही हो पाया है यदि आवेदक नियमानुसार अपने सिंचाई कार्य हेतु पुनः पंजीयन करवाता है तो क्षेत्र में विद्यमान विद्युत लाईन से कनेक्शन प्रदान कर दिया जावेगा। वर्तमान मे विवाद की कोई विषयवस्तु शेष न होने के कारण माननीय फोरम से निवेदन है कि प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करे।

6.फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

दिनांक 22.03.2017 को प्रकरण में आवेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री दीपक जाघव द्वारा प्रकरण में कथन किया कि मेरी कृषि भूमि ग्राम हसनाबाद में मिरजापुर डी.सी. के अन्तर्गत स्थित है । मैने कृषि कार्य हेतु 3 एच.पी. का पम्प कनेक्शन हेतु विद्युत विभाग में दि. 09/01/15 को राशि रू. 30,751/– जमा की थी । ग्राम हसनाबाद विदिशा शहर की सीमा से लगा हुआ होने के कारण ग्राम के मध्य से ही एक टाउन फीडर की लाईन निकली हुई है तथा दूर–दूर तक ग्रामीण फीडर स्थित न होने के कारण मुझे टाउन फीडर से ही कनेक्शन दिया जा सकता है परन्तु आज दिनांक तक मुझे विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया । मेरे द्वारा मेरे परिवार का एक ओर कनेक्शन श्री उदय जाघव के नाम से भी मांगा गया है उसमें भी विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है । मुझे उपमहाप्रबंधक, विदिशा के पत्र दिनांक 16/05/15 द्वारा सूचित किया गया कि आपको टाउन फीडर से विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है उसके स्थान पर ग्रामीण फीडर से ही लाईन दी जाएगी और हमें दोनों कनेक्शन हेतु राशि रू. 57381/– अतिरिक्त अन्तर की राशि और जमा करना होगी । हम अन्तर राशि जमा करने को तैयार हुए तो हमें अन्तर राशि रू. 57381/– से बढ़ाकर राशि रू. 74238/– का

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) राजीव अग्रवाल

निरंतर.....

मांग पत्र दे दिया गया । चूँकि हमें सिंचाई कार्य हेतु कनेक्शन की अत्यधिक आवश्यकता थी तो भी हमने डी.डी. के माध्यम से दि. 01/06/16 को राशि जमा कर दी गई । इसके बाद भी हमारे कनेक्शन हेतु लाईन विस्तार कार्य नहीं कराया गया और न ही हमें कनेक्शन दिया गया अगर हम दोनों कनेक्शन की कुल जमा राशि रू. 1,35,740/– डिपाजिट वर्क की स्कीम में मात्र 5 प्रतिशत सुपरवीजन चार्ज जमा करके करवाते तो यही कार्य जनवरी 2015 में ही हो जाता हमें उससे भी वंचित कर दिया गया।

अनावेदक की ओर से श्री दीपक श्रीवास्वत, विधि सहायक, सभागीय कार्यालय विदिशा द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण से संबंधित अभिलेख संकलित करने में समय लग रहा है अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि अनावेदक को प्रकरण में विधि सम्मत उत्तर प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर प्रदाय किया जाना न्याय हित में आवश्यक है । जिसे फोरम ने स्वीकार किया एवं अनावेदक को निर्देशित किया कि प्रकरण से संबंधित जवाबी दस्तावेज के साथ उपभोक्ता को 2009 में कनेक्शन प्रदान किये गये अनुबंध की प्रति एवं उपभोक्ता पासबुक आगामी तिथि को प्रस्तुत की जाये।

दिनांक 07.04.2017 को आवेदक द्वारा कथन किया गया कि विभाग से मेरा प्रश्न है कि जब टाउन फीडर से मेरी जानकारी के अनुसार छः माह पूर्व एक अन्य उपभोक्ता श्रीमती हेतल तायल पति श्री दिनेश तायल को कनेक्शन क्रं. 99–14–560510 कनेक्शन प्रदान किया गया है तो टाउन फीडर से मुझे विद्युत कनेक्शन क्यों नहीं प्रदान किया जा रहा है और मुझे टाउन फीडर से कनेक्शन देने में बार–बार आपत्ति लगाई जा रही है यदि टाउन फीडर से श्रीमती हेतल तायल पति श्री दिनेश तायल को कनेक्शन दिया जा सकता है तो मुझे भी कनेक्शन दिया जाए।

अनावेदक द्वारा कथन किया गया कि आवेदक द्वारा माननीय फोरम के समक्ष किये गये कथन में बताये गये तथ्यों के संबंध में गहन परीक्षण उपरान्त उत्तर दिया जाना संभव होगा । इसलिये आगामी तिथि प्रदान करने की कृपा करें ।

प्रकरण में दिनांक 26.05.2017 की सुनवाई के दौरान फोरम द्वारा अनावेदक को निदेर्शित किया कि प्रकरण संबंधित ग्रामीण फीडर एवं शहरी फीडर से संबंधित नक्शा एवं अन्य दस्तावेज तथा स्वीकृत प्राक्कलन से संबंधित समस्त दस्तावेज अगामी दिनांक 14.06.2017 को फोरम के समक्ष प्रस्तुत करे। प्रकरण में आवेदक का जो प्राक्कलन स्वीकृत किया था वह कृषि पम्प श्रीमति रैनूका महेश्वरी के सिंचाई हेतु स्वीकृत प्राक्कलन पर आधारित था। उस प्राक्कलन की प्रति एवं आवेदक के प्राक्कलन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करे। ग्रामीण एवं शहरी फीडर से सिंचाई कार्य हेतु यदि किसी तरह के नियम निधारित है तो नियम की प्रति भी प्रस्तुत करे।

दिनांक 14.06.2017 को अनावेदक की ओर से उपस्थित, श्री विनोद भदौरिया, उपमहाप्रबंधक विदिशा द्वारा कथन किया कि दिनांक 05/05/17 को आवेदक के विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये जाने के संबंध में दो पृष्ठीय बिन्दुवार जानकारी माननीय फोरम को प्रस्तुत की जा चुकी है । आवेदक के कनेक्शन हेतु स्वीकृत प्राक्कलन क्रं. 21–179–110411–16–0187 दिनांक 28/05/16 को स्वीकृत किया गया था, जो कि अन्य उपभोक्ता श्रीमती रेणुका महेश्वरी के सिंचाई पम्प के प्रस्तावित कार्य पर

आधारित था, जिनका स्वीकृत प्राक्कलन क्रं. 21–179–110411–14–0213 दिनांक 30/07/14 था । इस कार्य का कार्यादेश एस.टी.सी. संभाग को जारी किया गया था । जिसमें प्रबंधक, एस.टी.सी. ने अपने पत्र क्रं. 584 दि. 27/09/16 से यह कार्यादेश आपत्ति के साथ वापस कर उल्लेखित किया गया कि समीप वाले कृषक कार्य नहीं करने दे रहे हैं एवं कुछ के द्वारा प्लॉट काट कर विक्रय कर दिया गये है । इस कारण कार्य होना संभव नहीं है एवं उपभोक्ता रेणू महेश्वरी द्वारा भी कार्य न होने कारण भी राशि वापस करने हेतु अपनी सहमति दि. 06/04/16 को प्रस्तुत की । उक्त निर्मीत परिस्थितियों के कारण उपभोक्ता श्री उदय जाधव एवं श्री प्रदीप जाधव का विस्तार कार्य किया जाना संभव नहीं है। अतः प्राक्कलन क्रं.21–179–110411–16–0187 दिनांक 28/05/16 निरस्त कर उपभोक्ता को राशि वापस किया जाना उचित है । अगर उपभोक्ता नियमानुसार नवीन प्रक्रिया अपनाते हुए अपने सिंचाई ट्यूब वैल के नवीन कनेक्शन हेतु रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे विद्युत कनेक्शन विद्यमान विद्युत लाईन से प्रदान कर दिया जावेगा ।

अतः आवेदक की शिकायत का नियमानुसार निराकरण कर दिया गया है । इसलिये माननीय फोरम से निवेदन है प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें ।

आवेदक की ओर से उपस्थित उनके प्रतिनिधि श्री दीपक जाधव ने कथन किया कि मैने 01.01. 2015 से दो कनेक्शन अनुदान योजना में सिंचाई के लिए टाउन लाईन से लेने के लिए आवेदन दिया था, विभाग के मांगअनुसार समस्त राशि मेरे द्वारा जमा कर दी गई । इसके बाद भी अतिरिक्त राशि विभाग द्वारा मांगने पर मेरे द्वारा जमा की गई परन्तु दि. 01.01.15 से आज दिनांक 14.06.17 तक मुझे कोई कनेक्शन टाउन लाईन अथवा ग्रामीण फीडर से नहीं दिया गया । विदिशा विभाग की कार्यवाही से त्रस्त होकर मैंने 25.02.17 को फोरम के समक्ष शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें दौराने मुकदमा मैने अपने सभी दस्तावेजी सबूत एवं अन्य प्रपत्र पेश कर दिये हैं जिसमें मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी विदिशा के त्तकालीन उपमहाप्रबंधक श्री समीर शर्मा एवं वर्तमान में पदस्थ उपमहाप्रबंधक महोदय श्री विनोद भदौरियाजी ने भी गलत एवं भ्रामक जानकारियां माननीय फोरम के समक्ष पेश की मेरे द्वारा मांगी गई मुख्य जानकारी की श्रीमती हेतल तायल को टाउन लाईन से सिंचाई कनेक्शन किस आधार किस नियम के तहत दिया गया है । जिसकी जानकारी आज तक फोरम के समक्ष पेश नहीं की गई । इस कनेक्शन के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है । यह फोरम के लिए जानना अतिआवश्यक है । इसके बाद इन तीन वर्षो में जो भी कार्यवाही होती रही वो सारे प्रपत्र मैने पेश कर दिये हैं, दौरानेमुकदमा उपमहाप्रबंधक महोदय को इस प्रकरण में नियमानुसार कोई भी कार्यवाही करने का हक नहीं था । जब तक फोरम का फैसला नहीं आता है परन्तु यह सारी कार्यवाही की गई है । चूँकि मेरे हर आवेदन में टाउन लाईन से कनेक्शन लेने का निवेदन है राशि जमा है फिर किस नियम के आधार पर यह कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है । वह नियम भी पेश नहीं किया गया । मौजूदा स्थिति में जो नियम चल रहे हैं माह 9/16 से लागू किये गये हैं जब कि हम 01.01.15 के आवेदक हैं वह नियम हम पर लागू नहीं होते हैं । मुझे ग्राम हसनाबाद में मौजूदा एक मात्र टाउन लाईन से ही कनेक्शन चाहिए जो उनके नियमानुसार मीटर लगा कर ही दिये जा सकते हैं । हम मीटर युक्त कनेक्शन लेने को तैयार हैं । माननीय फोरम से निवेदन है कि मेरे समस्त दस्तावेजों का गंभीरता से अवलोकन करते हुए मेरी शिकायत पर न्याय करते हुए मुझे टाउन लाईन से कनेक्शन प्रदान करने का कष्ट करें ।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **राजीव अग्रवाल**

निरंतर.....

फोरम द्वारा प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की समीक्षा की गयी। फोरम द्वारा अपनी समीक्षा में पाया गया कि आवेदक द्वारा माह जनवरी 2015 में कृषि पंप हेतु विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु अनावेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर अनावेदक द्वारा आवेदक से श्री उदय जाधव और श्री प्रदीप जाधव के नाम से दो कृषि पंपो हेतु विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 09.05.2015 को अनुदान योजना के अंतर्गत लाईन विस्तार कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। उक्त प्राक्कलन के अंतर्गत प्रास्तवित कार्य एक अन्य उपभोक्ता श्रीमति रेणु माहेश्वरी के कृषि पंप हेतु स्वीकृत लाईन विस्तार कार्य के पूर्णता पर आधारित था। जिसके संबंध में प्रबंधक (एस.टी.सी) विदिशा द्वारा अनावेदक को अपने पत्र दिनांक 02.06.2015 से अवगत कराया गया कि प्राक्कलन में प्रास्तावित नक्शे के अनुसार वहां के समीप वाले कृषक कार्य नही करने दे रहे है, ओर कुछ के द्वारा प्लाट काटकर विक्रय कर दिये गये है। अतः कार्य होना संभव नही है, ओर यह भी कि 0.42 किमी. 11 के.व्ही. अतिरिक्त लाईन डाली जाने पर लाईन विस्तार कार्य किया जा सकेगा।

अनावेदक ने अपने पत्र दिनांक 20.01.2016 के द्वारा श्रीमति रेणु माहेश्वरी को उपरोक्त वस्तुस्थिति से सूचित करते हुये लेख किया गया कि यदि आप प्राक्कलन पुनरीक्षित कराना चाहते है तो इस हेतु आवेदन प्रेषित करें ताकि पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में यदि आप कार्य नही कराना चाहते तो आपके द्वारा जमा की गई राशि वापसी हेतु आवेदन एवं रसीद की प्रति प्रेषित करे। तत्पश्चात श्रीमति रेणु माहेश्वरी द्वारा दिनांक 06.04.2016 के आवेदन पत्र से अनावेदक को जमा राशि वापिस करने हेतु लेख किया गया।

आवेदक को कृषि पंप कनेक्शन हेतु प्रस्तावति लाईन विस्तार कार्य का प्राक्कलन श्रीमति रेणु माहेश्वरी के कृषि पंप कनेक्शन के कार्य पर आधारित कर बनाया गया जो नियमानुसार न होकर नियम विरूद्ध बनाया गया और जबकि श्रीमति रेणु माहेश्वरी द्वारा दिनांक 06.04.2016 के पत्र द्वारा दो वर्षे में भी कार्य न कराये जाने के कारण अपनी राशि वापिस करने का लेख किया गया तब भी आवेदक के कृषि पंप कनेक्शनों के लाईन विस्तार कार्य के प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर दिनांक 28.05.2016 को प्राक्कलन स्वीकृत किया गया और दिनांक 01.06.2016 को अतिरिक्त राशि जमा करायी गयी। अनावेदक की यह कार्यवाही उसकी ओर लापरवाही एवं सेवा में कमी दर्शाता है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत एक अन्य दस्तावेजों में स्थल का सर्वे करने वाले कर्मचारी द्वारा टीप अंकित की गयी कि '' रेणु माहेश्वरी तक कोई 11 के.व्ही. लाईन नही है।'' जिससे स्पष्ट है कि आवेदक के कार्य का प्राक्कलन कितनी लापरवाही पूर्वक बनाया गया। निश्चित ही तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी विभागीय कार्यवाही के पात्र है।

फोरम द्वारा भी अनावेदक से टाउन फीडर से कनेक्शन नही दिये जाने संबंधी यदि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्पष्ट नियम हो तो प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया था। परन्तु दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। यदि कृषि पंप का कनेक्शन टाउन फीडर से दिये जाने में किसी प्रचलित योजना में प्रावधान नही थे तो उपभोक्ता को पूर्ण जमा योजना में कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही भी नही की गई। यह कृत्य भी सेवा में कमी दर्शाता है।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **राजीव अग्रवाल**

निरंतर.....

आवेदक द्वारा कथन किया कि मेरे हर आवेदन में टाउन लाईन से कनेक्शन लेने का निवेदन है, राशि जमा है फिर किस नियम के आधार पर कनेक्शन नही दिया जा रहा है। मुझे ग्राम हसनाबाद में मौजूदा एक मात्र टाउन लाईन से ही कनेक्शन चाहिये जो नियमानुसार मीटर लगाकर ही दिये जा सकते है। हम मीटर युक्त कनेक्शन लेने को तैयार है।

फोरम का निर्णय :–फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक के कथन अनुसार ग्राम हसनाबाद में मौजूदा टाउन लाईन से आवेदक के कृषि पंपो हेतु विद्युत कनेक्शन प्रदान करे इस हेतु आवश्यक लाईन विस्तार कार्य की लागत राशि से आवेदक को अवगत कराये तथा आवश्यक होने पर आवेदक की पूर्व में जमा राशि को प्रस्तावित कार्य की लागत राशि में समायोजित कर शेष राशि यदि जमा करायी जाना हो तो जमा कराये और यदि वापसी योग्य निकलती है तो वापिस की जाये। टाउन फीडर से दिये जा रहे कनेक्शन मीटर लगाकर दिये जावे एवं प्रचलित टैरिफ के अनुसार बिलिंग की जावे।

अतः प्रकरण निर्णीत होकर प्रकरण को समाप्त किया जाता है। अनावेदक पालन प्रतिवेदन आदेश प्रप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करे।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 04.07.2017
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)(एस.एस.मंडलोई) **राजीव अग्रवाल**
सदस्य (राजस्व एवं लेखा) सदस्य (अभियांत्रिकी) (अध्यक्ष)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ECGRFBPL.bhopal@mpcz.co.in)

प्रकरण क्र.जी.टी.05/2017

श्रीमती लक्ष्मी बाई,
पति ओमप्रकाश माहौर,
जाटव मौहल्ला, **(आवेदक)**
पुरानी छावनी, मोतीझील,
ग्वालियर
जिला–ग्वालियर. (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, (सं./सं.), संभाग, **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर, (म.प्र.)

आदेश

आज– 21.07.2017 को पारित किया गया।

1.आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/05 दिनॉक 17.04.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 16.05.17, 07.06.17 एवं 13.07.17 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. आवेदक का कथन :–आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक उपभोक्ता निम्नलिखित निवेदन करता है:–

मेरा घरेलू विद्युत सर्विस कनेक्शन कं. 394502–76–11–56376 है ।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थिनी साधारण परिवार की महिला है और प्रार्थिनी के घर में घरेलू लाईट का कनेक्शन है प्रार्थी के घर में लाईट का अधिक उपयोग नहीं होता है और प्रार्थिनी प्रत्येक माह बिजली का बिल अदा करती आ रही है फिर भी मई 2016 में बिजली की घरेलू रीडिंग 6832 बिल में अंकित है जब कि प्रार्थिनी द्वारा पहले मीटर रीडिंग गलत आने के कारण मीटर बदलने के लिये आवेदन दिया था, जिस पर से प्रार्थिनी का मीटर बिजली घर के कर्मचारी निकाल कर ले गये हैं फिर एक माह में इतनी अधिक रीडिंग कैसे लिखी गई है। प्रार्थिनी के घर में कोई कारखाना तो नही है जो अधिक लाईट खपत होती है वर्तमान में प्रार्थिनी को 61852 रू. का बिल भेजा गया है जो बहुत अधिक है और जब मीटर निकला हुआ है तो फिर रीडिंग कहां से लिखी गई प्रार्थिनी को दिया गया बिल अनुमानित है जो गलत होने से संशोधन योग्य है ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थिनी को भेजे गये बिल पर गंभीरता से विचार कर बिल को कम करने का आदेश करने की कृपा करें ।

अनावेदक का कथन :– अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया वह निम्नानुसार है :–

उपरोक्त विषय में लेख है कि उपभोक्ता श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी श्री ओमप्रकाश जाटव पुरानी छावनी द्वारा घरेलू स.कं. 76–11–56376 के बिल सुधार हेतु माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल में शिकायत की गई है । श्रीमान् द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त प्रकरण में उत्तर प्रतिवेदन चाहा गया है जो कि निम्नानुसार है :–

उपभोक्ता को माह जून 2016 में खपत 6832 यूनिट का देयक जारी होने पर उपभोक्ता द्वारा दिनांक 25/07/16 को आवेदन प्रस्तुत करने तथा दिनांक 26/07/16 को मीटर लैब में परीक्षण कराने हेतु टेस्टिंग फीस रू. 75 जमा करने पर मीटर बदला गया । लैब से मीटर परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30/07/16 के अनुसार डायल टेस्ट रिपोर्ट में सही पाया गया, इसलिये माह जून 16 के देयक में दर्ज खपत 6832 यूनिट सही है । इससे प्रतीत होता है कि उपभोक्ता द्वारा मीटर वाचक से सॉठ गॉठ कर अथवा धमकाकर पूर्व के माहों में कम कम रीडिंग दर्ज करवाई गई है । इस कारण उक्त खपत इक्कट्ठी दर्ज हुई है ।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

उपभोक्ता के निवेदन पर इस कार्यालय द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 24/09/16 को बिल में सुधार करते हुए रू. 6789 तथा दिनांक 28/10/16 को पुनः संशोधन सुधार कर रू. 3358 कुल 10147 रू. की क्रेडिट दी जाकर बिल सुधार किया जा चुका है । इस बाबत् इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 3023 दिनांक 07/11/16 के द्वारा उपभोक्ता के अभिभाषक श्री आर.पी. राय, घासमंडी को स्पष्टीकरण पत्र प्रेषित किया गया, तथा उपभोक्ता के द्वारा स्वयं व उनके प्रतिनिधियों द्वारा कई बार इस बाबत् जानकारी ली जा चुका है । इससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा देयक राशि जमा न कराने की मंशा के कारण जानबूझकर शिकायत की जा रही है ।

फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

आवेदिका प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 16.05.17 को फोरम के समक्ष कथन किया कि आवेदिका द्वारा माह मई 2016 के पूर्व जारी सभी विद्युत बिलों के भुगतान माहवार करती रही है। माह मई 2016 के बाद जारी विद्युत बिल मीटर रीडिंग के न होकर आंकलित खपत के विद्युत बिल जारी किये गये हैं । अतः अनावेदक द्वारा आंकलित खपत हटाकर संशोधित बिल दिये जाएं तो वह उन विद्युत बिलों की राशि जमा करने को तैयार है । मई 2016 में जब से मेरा मीटर बदला है उसके बाद से ही आंकलित खपत के बिल दिये जा रहे हैं । अतः निवेदन है कि उसे विद्युत बिल से आंकलित खपत हटा कर संशोधित बिल दिये जावें ताकि वह उसका भुगतान कर सके ।

अनावेदक ने कथन किया कि उपभोक्ता के विद्युत बिलों में आंकलित खपत हटाकर संशोधित बिल जारी करना स्वीकार किया गया है । आवेदिका को माह जून 2016 में कुल खपत 6832 यूनिट सही है जो मीटर टेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से सही पाया गया है । दिनांक 24/09/2016 के बिल में सुधार करते हुए रू. 6789/– एवं दिनांक 28/10/16 के विद्युत बिल में पुनः संशोधन करके रू. 3358/– कुल 10147/– रूपये की रियायत (राहत) आवेदिका को दी जा चुकी है । इसके बावजूद आवेदिका द्वारा अपना बिजली का बिल जमा नहीं किया गया। चूँकि उक्त बिल रीडिंग का था । अतः इस बिल में सुधार की गुंजाईश नहीं

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

है । जब से मीटर लगाया गया है, आज दिनांक मीटर खपत एवं बिल का विवरण तथा उपभोक्ता पास बुक अनावेदक को अगली पेशी पर प्रस्तुत करने के निर्देश फोरम द्वारा दिया गया।

दिनांक 13/07/2017 को फोरम के समक्ष अनावेदक प्रतिनिधि ने कथन किया कि मीटर रीडर द्वारा मीटर रीडिंग 8549 लिखी गई थी । उसी को बिलिंग हेतु पंच किया गया । परन्तु जब मीटर निकाल कर लाये तो मीटर रीडिंग 228.5 थी । उपभोक्ता को 8549 फायनल रीडिंग के आधार पर बिल दिया गया था । लेकिन मीटर बदलने के बाद उपभोक्ता की खपत सामान्य 100 से 125 यूनिट ही आ रही थी ।

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा की गई । अनावेदक द्वारा दिनांक 13/07/2017 को किये गये कथनों एवं फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आवेदिका के परिसर में स्थापित मीटर की मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट में मीटर डॉयल टेस्ट रिपोर्ट में सही पाया गया किन्तु मीटर में से मुख्य विद्युत प्रदाय बंद करने पर पुनः मीटर रीडिंग 0.00 के.डब्ल्यू.एच. हो जाती है अतः मीटर खराब है नोट डला है । अतः इससे यह सिद्ध होता है कि आवेदिका का मीटर खराब है । मीटर रीडिंग डायरी के अनुसार दिनांक 06.04.2016 को मीटर में रीडिंग 1538 एवं विद्युत खपत 121 यूनिट दर्ज है । इसके पश्चात् 07.05.2016 को मीटर में रीडिंग 8370 एवं खपत 6832 यूनिट दर्ज है तथा 09.06.2016 को रीडिंग 8549 एवं खपत 179 यूनिट दर्ज है । जब कि मीटर रीडिंग डायरी में मीटर परिवर्तन के समय दिनांक 25/06/16 को मीटर की वास्तविक एफ. आर. 228.5 आंकलित की गयी, मीटर रीडिंग डायरी में अंकित रीडिंग 8549 के संबंध में अनावेदक किसी तरह का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके एवं उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण प्रपत्र भी अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें उपभोक्ता का भार मात्र 690 वॉट पाया गया, जो कि मीटर की खपत को सत्यापित करता है । उपभोक्ता का मीटर जब से स्थापित था तब से ही इसकी प्रतिमाह खपत 100 यूनिट से 125 यूनिट आ रही थी, जो दि. 06/04/2016 की रीडिंग 1538 तक मीटर सही कार्य अवस्था में था। दिनांक 06/04/2016 के पश्चात् मीटर में अचानक 8370 रीडिंग दिनांक 07.05.16 की दर्ज हुई है । जो कि संभव नहीं है । जिसकी पुष्टि मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट से होती है कि मीटर खराब है एवं इरेटिंग रीडिंग दे रहा है । नया मीटर स्थापित होने के पश्चात् नये मीटर में भी खपत 100 यूनिट से 130 यूनिट प्रतिमाह के अन्दर है ।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

अतः फोरम आवेदिका के परिसर में स्थापित पुराने मीटर को दिनांक 06/04/2016 तक सही मानता है एवं इसके पश्चात् यह खराब हो गया है ।

अतः जिस अवधि में मापयंत्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता है उस अवधि के लिये विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक म.प्र. विद्युत संहिता प्रदाय की कंडिका 8.35 (ब) के अनुरूपनिम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा ।

जिस प्रकरण में जहां मुख्य माप यंत्र (मेन मीटर) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयंत्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयंत्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा तथापि यदि – मापयंत्र संयोजन तिथि के तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता है तो विद्युत की मात्रा का आंकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार पर किया जा सकता है । जो इस प्रतिबंध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितिया हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थी, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षैत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्त के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा । यदि उपभोकता इस निर्धारण से संतुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षैत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्न दाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

अतः उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदिका के विद्युत संयोजन का विद्युत मीटर दिनांक 06.04.2016 तक सही खपत दर्ज कर रहा था । इसके पूर्व तीन माह की खपत फरवरी 2016, मार्च 2016 एवं अप्रैल 2016 की विद्युत खपत क्रमशः 103, 104 एवं 121 यूनिट है । जिसका औसत 109 यूनिट है ।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदिका को माह मई बिल्ड जून 2016 एवं माह जून बिल्ड जुलाई 2016 के विद्युत देयक 109 यूनिट औसत खपत प्रतिमाह लेकर संशोधित करें तथा माह जुलाई 2016 से नवीन मीटर में दर्ज खपत के अनुसार विद्युत बिल जारी करें ।

आवेदिका की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

पालन प्रतिवेदन आदेश की प्रति प्राप्त होने के 15 दिवस में आवेदिका एवं फोरम को एक–एक प्रति भेजें ।

प्रकरणः निर्णीत

आदेश : पारित

दिनांक : 21.07.2017

स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस. मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 07 / 2017

प्रति,
मैसर्स दिलीप बिल्डकॉन लि.,
ग्राम गाडेर, जिला गुना,
गुना(म.प्र.)

विषय : फोरम के निर्णय दिनॉक 15.07.2017 के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–06 / 2017 दिनॉक 22.05.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 15.07.2017 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति
–सही–

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

महाप्रबंधक (सं. / सं.) वृत्त म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., गुना (म.प्र.) –निर्णय की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

–सही–
सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.06/2017

22.05.2017

मैसर्स दिलीप बिल्डकॉन लि.,
ग्राम गाडेर, जिला गुना, **(आवेदक)**
गुना।(म.प्र.)

वरुद्ध

महाप्रबंधक, (सं./सं.) वृत्त,**(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
गुना, (म.प्र.)

आदेश

आज–15.07.2017 को पारित किया गया।,

1.आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/06 दिनॉक 22.05.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 08.06.2017 एवं 03.07.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. आवेदक का कथन :–आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लि. के नाम से एक 1950 के.व्ही.ए. मांग एच.टी. विद्युत संयोजन जिसका वर्तमान में 1100 के.व्ही.ए. विद्युत भार, 33 के.व्ही. विद्युत प्रदाय पर है। जिसका सर्विस क्रमांक 4531480689 है। जिसकी टेस्ट रिपोर्ट 5 अगस्त 2016 को विद्युत विभाग कार्यालय में जमा की। एम.पी.ई.आर.सी. की गाईड लाईन के अनुसार विभाग को टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात 7 दिवस के अंदर विद्युत कनेक्शन कर उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय चालू कर देना चाहिए। लेकिन विद्युत विभाग ने उपभोक्ता का कनेक्शन 30 अगस्त 2016 को 21:00 बजे मीटर स्थापित कर विद्युत प्रदाय चालू की गई विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कंडिका 8.24 के अनुसार उच्चदाब

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

उपभोक्ता के लिय मापयंत्र वाचन की समयावधि प्रतिमाह (30 दिवस) है तदापि यदि अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक एवं उपयोगी समझ तो वह इस समयावधि में सुधार भी कर सकेगा। चालू किया गया एवं उसके विद्युत कनेक्शन की रीडिंग 31 अगस्त 2016 को 00:01 बजे लेकर माह सितम्बर 2016 का विद्युत देयक रू. 90779/– का जारी किया गया जो कि एक दिन का है। जिसे उपभोक्ता द्वारा अंडर प्रोटेस्ट रू. 91000/– विद्युत विभाग में जमा किया गया है। अतः इस विद्युत देयक से उपभोक्ता सहमत नही है क्योकिं यह नियमानुसार नही है। अतः फोरम से निवेदन है कि उसे यह विद्युत देयक नियमानुसार एवं वास्तविक खपत अनुसार विद्युत देयक को संशोधित कर दिया जावे।

अनावेदक का कथन :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किआवेदक की शिकायत का निराकरण के संबंध में दस्तावेज फोरम के समक्ष प्रस्तुत किये है। आवेदक द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके प्रथम बिल में 12 घंटे की जो राशि 91,914/– की बिलिंग की गई थी कि उसमें टैरिफ मिनिमम के आधार पर बिल किया गया था। उपभोक्ता के प्रथम बिल में किये गये टैरिफ मिनिमम की बिल राशि रू. 79,598/– को निरस्त करते हुए आवेदक के आगामी बिल में समायोजन करते हुए आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया जाएगा। इस संबंध में आवेदक के प्रतिनिधि श्री बी.आर. कपूर से हुई चर्चा में उनके द्वारा भी अपनी सहमति व्यक्त की गई। इसमें आवेदक का संशोधित बिल फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कृपया प्रकरण समाप्त करने का निवेदन है।

फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदक का मेसर्स दिलीप बिल्डर्स के नाम से उच्चदाब विद्युत संयोजन क्रमांक 4531480689, जिसका संयाजित भार 1100 के.व्ही.ए. है। जिसकी विद्युत प्रदाय औपचरिकताए पूर्ण कर 30 अगस्त 2016 को 21 बजे विद्युत मीटर स्थापित कर चालू की गई।

दिनांक 31 अगस्त 2016 को 00:01 बजे मीटर की रीडिंग लेकर विद्युत संयोजन का प्रथम विद्युत देयक माह सितम्बर 2016 में टैरिफ मिनिमम का आवेदक को रू.91914/– जारी किया गया। जिस पर आवेदक ने आपत्ति दर्ज की उसे जारी 12 घण्टे इतनी अधिक राशि का विद्युत देयक कैसे हो सकता है यह एम.पी.ई.आर.सी. की गाईड लाईन के विरूद्ध है। अतः उसके इस विद्युत देयक को संशोधित कर दिया जावे।

अनावेदक ने दिनांक 03.07.2017 को फोरम के समक्ष स्वीकार किया कि आवेदक को प्रथम विद्युत देयक में टैरिफ मिनिमम राशि रू. 79598/– को निरस्त कर आवेदक को उसके आगामी

विद्युत देयकों में समायोजित कर दिया जाएगा। इस पर आवेदक प्रतिनिधि श्री बी.आर कपूर ने फोरम के समक्ष अनावेदक द्वारा उसके निराकरण में की जाने वाली कार्यवाही पर सहमति प्रकट की।

उपरोक्त विवेचना के उपरांत फोरम इस नतीजे पर पहुचा की अनावेदक ने आवेदक को उसके उच्चदाब विद्युत कनेक्शन क्रमांक 4531480686 संयोजित भार 1100 के.व्ही.ए के प्रथम विद्युत देयक माह सितम्बर 2016 में जारी रू. 91,914/– को निरस्त करता है। एवं निर्देशित करता है कि आवेदक को माह सितम्बर 2016 में जारी प्रथम विद्युत देयक को विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के आध्यय 8 की कंडिका 8.31 के अनुसार''**यदि किसी नये उपभोक्ता का विद्युत संयोजन किसी माहके माध्य किसी तिथि से प्रारम्भ होता है तो प्रथम देयक माह के अंतर्गत स्थाई प्रभार (Fixed charges)वास्तविक आधार पर प्रभारित किये जाएगे। तथापित, अन्य प्रभार, जैसे कि न्यूनतम प्रभार आदि की राशि की गणना माह के दौरान विद्युत प्रदाय की गई वास्तविक दिवस संख्या के आधार पर अनुपातिक दर पर की जाएगी। दर्ज की गई विद्युत खपत को भी इस प्रकार, खपत की विभिन्न निर्धारित श्रेणियों में आनुपातिक दर पर प्रभारित किया जाएगा। इस कण्डिका के प्रयोजन से माह की अवधि की गणना 30 दिवस के रूप में की जाएगी।**''संशोधित करे एवं आवेदक द्वारा उसे जारी पूर्व विद्युत देयक के विरूद्ध भुगतान की गई राशि का समायोजन आगामी विद्युत देयकों में किया जावे।

अतः प्रकरण निर्णीत होकर प्रकरण को समाप्त किया जाता है। अनावेदक पालन प्रतिवेदन आदेश प्रप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करे।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 15.07.2017
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	**(एस.एस.मंडलोई)**	**(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ECGRFBPL.bhopal@mpcz.co.in)

प्रकरण क्र.जी.टी.07/2017

श्री आर.के. सिंह,
पुत्र श्री उदयवीर सिंह,
दीनदयाल नगर, **(आवेदक)**
ग्वालियर
जिला–ग्वालियर. (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग, (पूर्व), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर, (म.प्र.)

आदेश

आज– 24.07.2017 को पारित किया गया।

1.आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/07 दिनॉक 22.05.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 08.06.17 एवं 13.07.17 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. आवेदक का कथन :–आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक उपभोक्ता निम्नलिखित निवेदन करता है:–

मेरा घरेलू विद्युत सर्विस कनेक्शन क्रं. 2424902–71–03–3582103000 है ।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

उपरोक्त विषय में लेख है कि उपभोक्ता का सी.एच. 29 दीनदयाल नगर, ग्वालियर में स्थित है। जिसमें कोई निवासरत नहीं है । विद्युत का उपयोग नहीं किया जा रहा है । सर्वप्रथम दिनांक 05/11/14 को सहायक अभियंता, एम.पी.ई.बी., दीनदयाल नगर, ग्वालियर को सूचित किया जिसमें नवम्बर 2014 में 500 यूनिट आंकलित खपत को खत्म कर संशोधित बिल दिया जो मेरे द्वारा जमा कर दिया गया ।

उसके बाद फिर आंकलित खपत के बिल आने लगे, जब कि विद्युत का उपयोग नहीं किया गया तथा भवन में कोई निवास नहीं कर रहा है । मेरे द्वारा दिनांक 03/08/16 को आंकलित खपत हटाकर संशोधित बिल देने हेतु पुनः सहायक अभियंता, एम.पी.ई.बी., दीनदयाल नगर, ग्वालियर को आवेदन दिया परन्तु आज दिनांक तक कोई संशोधन नहीं हुआ ।

कोई सुनवाई नहीं होने के कारण दिनांक 08/03/16 को पूर्व में ही विद्युत विच्छेदन हेतु रू. 200/– की रसीद कटवा चुका था फिर भी बिल में कोई संशोधन नहीं किया गया, फिर भी आंकलित खपत का बिल आ रहा है ।

माह अप्रैल 2017 में भी बिल रू. 22572/– का आया है । जिसमें भी पूर्व महीने की तरह आंकलित खपत 400 यूनिट जोड़कर भेजा गया है । जो कि अनुचित नियम विरूद्ध आपकी हठधर्मिता से गलत त्रुटिपूर्ण बिल भेजा है । विद्युत विभाग द्वारा मेरे द्वारा दिये गये आवेदनों पर कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई है ।

अतः हारकर परेशान होकर उपभोक्ता का शोषण करने के कारण आपके फोरम में उपस्थित हुआ हूँ । मेरे साथ उचित न्याय एवं संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ऐसी ही उपभोक्ता फोरम से आशा करता हूँ ।

अनावेदक का कथन :– अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया वह निम्नानुसार है :–

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण क्रं. जी.टी. 07/2017 दिनांक 22/05/17 में उपभोक्ता श्री आर.के. सिंह/श्री उदयवीर सिंह, सी.एच.–29 सर्विस क्रमांक 3582103000 की शिकायत का प्रति उत्तर निम्नानुसार प्रेषित है ।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता परिसर का निरीक्षण 28/06/2017 को कनिष्ठ यंत्री द्वारा किये जाने पर उक्त मीटर से विद्युत का उपयोग नहीं पाया गया बगल वाले मीटर से विद्युत का उपयोग पाया गया ।

उपभोक्ता की शिकायत माह अगस्त 2016 से जुलाई 2017 तक लगी आंकलित खपत को समाप्त किया जाकर नियमानुसार टैरिफ मिनिमम का बिल बनाया गया है एवं इस बाबत् संशोधन के फलस्वरूप सी.सी.बी. द्वारा प्रबंधक डी.डी. नगर जोन द्वारा रूपये (–) 25183/– का क्रेडिट उपभोक्ता के माह जुलाई 2017 के देयक में दिया गया है एवं वर्तमान में रूपये 11195/– जमा करना शेष हैं ।

इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है । अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें ।

फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

आवेदक श्री आर.के. सिंह, पिता श्री उदयवीर सिंह, के नाम से वर्ष 2008 में एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रं. 2424902–71–03–3582103000 संयोजित भार 2000 वॉट डी.डी. नगर सी. एच. 29 लिया गया है । आवेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि उसके विद्युत बिल मीटर रीडिंग से आ रहे थे उनका भुगतान उसके द्वारा समय–समय पर करता रहा है । उसे नवम्बर 2014 का विद्युत बिल में आंकलित खपत 500 यूनिट लगा कर दिया गया है, उसके मीटर में नवम्बर 2014 में रीडिंग 483 दर्ज थी । वर्तमान में उसके द्वारा आंकलित खपत को हटाकर विद्युत बिल में संशोधन कर मीटर रीडिंग के अनुसार देने का आवेदन दिया गया था। संशोधन उपरान्त बिल का भुगतान उसके द्वारा कर दिया गया । इसके पश्चात् माह नवम्बर–दिसम्बर 2015 से आंकलित खपत लगाकर विद्युत बिल दिये गये जिसके संदर्भ में 3/8/16 को विद्युत बिल संशोधन के लिए आवेदन दिया गया था । इसके बाद उसके विद्युत बिल में संशोधन नहीं किया गया । दिनांक 03/08/2016 को ही निवेदन किया गया कि उसके

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

विद्युत संयोजन को अस्थाई विच्छेदन हेतु रूपये 200/– का भुगतान किया गया था । इसके बाद भी उसे आंकलित खपत के विद्युत बिल दिये जा रहे हैं । दिनांक 10/04/2017 को पुनः एक आवेदन देकर उसके विद्युत बिलों से आंकलित खपत हटा कर विद्युत बिल संशोधन किया जाए एवं मिनीमम का विद्युत बिल दिये जाएं क्योंकि उसने अस्थाई विच्छेदन अपने विद्युत संयोजन का करने के लिये 3/8/206 के रू. 200/– भी जमा कर दिये थे । उसके भवन में नवम्बर 2014 से 8/6/2017 तक कोई भी निवास नहीं कर रहा है । उसके द्वारा विद्युत का उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

अतः फोरम से निवेदन है कि आवेदक को नवम्बर 2014 के बाद से मीटर में दर्ज खपत के अनुसार अगस्त 2016 तक एवं अगस्त 2016 के पश्चात् विद्युत संयोजन अस्थाई विच्छेद के रूप में विच्छेदन कर लिया गया था इस अवधि के विद्युत बिल मिनिमम के अनुसार 8/6/2017 तक के संशोधन उपरान्त उसे दिलाए जाएं ।

अनावेदक ने प्रकरण में कथन किया कि आवेदक के परिसर का निरीक्षण करने के उपरान्त पाया गया कि उसके परिसर में विद्युत का उपयोग नहीं पाया गया । अतः माह अगस्त 2016 से जुलाई 2017 तक आवेदक के विद्युत बिलों में लगाई गई आंकलित खपत हटाकर टी.एम.एम. लिया जाकर विद्युत बिल संशोधित कर बिल जारी किया जा चुका है । जिसको उपभोक्ता को आज दिनांक तक बिल जुलाई 2017 का दिया जा चुका है ।

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम के समक्ष किये गये कथनों की फोरम द्वारा समीक्षा की गई :– प्रकरण में प्रस्तुत उपभोक्ता पासबुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक श्री आर.के. सिंह, पिता श्री उदयवीर सिंह, के नाम से घरेलू विद्युत कनेक्शन सी.एच. 29 डी.डी. नगर ग्वालियर में हैं जिसका सर्विस क्रं. 2424902–71–03–3582103000 संयोजित भार 2000 वॉट है । जिसमें दिसम्बर 2013 से अक्टूबर 2014 तक शून्य खपत दर्शा कर विद्युत देयक जारी किये गये थे उक्त अवधि में आवेदक द्वारा 04 मार्च 2014 को रूपये 667/– का भुगतान आवेदक द्वारा किया गया था ।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

माह नवम्बर 2014 में अनावेदक ने आवेदक को 500 यूनिट आंकलित खपत लगा कर विद्युत देयक रू. 3811/– का जारी किया गया जिससे आवेदक ने असहमति प्रकट करते हुए उसमें लगाई गई आंकलित खत 500 यूनिट को हटाते हुए विद्युत देयक के संशोधन के पश्चात् रू. 508/– का भुगतान 11 नवम्बर 2014 को किया गया । जिसकी पुष्टि आवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल की प्रति से होती है । इसके पश्चात् आवेदक ने 5 फरवरी 2015 को रू. 222/– एवं 05 मार्च 2015 को रू. 107/– का भुगतान किया गया था । माह जून 2015 में अनावेदक ने आवेदक के विद्युत देयक में 100 यूनिट आंकलित खपत लगाकर एवं माह सितम्बर 2015 के विद्युत देयक में भी 100 यूनिट आंकलित खपत लगाकर विद्युत देयक दिया गया है ।

माह जून 2015 से सितम्बर 2015 की अवधि में आवेदक ने दिनांक 05 अक्टूबर 2015 को रू. 1646/–का भुगतान किया गया है । माह नवम्बर 2015 से अनावेदक ने आवेदक को जुलाई 2017 तक आंकलित खपत लगाकर विद्युत देयक दिये गये एवं मीटर रीडिंग डायरी में मकान बंद का एवं उपयोग नहीं है का रिमार्क लगा है । उक्त अवधि के विद्युत देयकों से असहमत होते हुए आवेदक ने विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया एवं उसे विद्युत देयकों में लगाई गई आंकलित खपत हटा कर विद्युत देयक संशोधित कर दिये जाने का निवेदन किया गया, क्योंकि आवेदक द्वारा उक्त अवधि में भी विद्युत का उपयोग नहीं किया गया । जिसकी पुष्टि आवेदक के परिसर निरीक्षण रिपोर्ट से भी होती है ।

अनावेदक द्वारा उक्त अवधि में उसके जारी विद्युत देयकों में लगी आंकलित खपत को हटाते हुए संशोधित विद्युत देयक जारी करने का निवेदन बार–बार करने पर भी अनावेदक ने उसके विद्युत देयकों से संशोधित नहीं किया यह अनावेदक की सेवा में कमी को प्रदर्शित करता है ।

उपरोक्त विवेचना उपरान्त फोरम ने यह पाया कि अनावेदक ने आवेदक को माह जून 2015, सितम्बर 2015, नवम्बर 2015 एवं दिसम्बर 2015 में प्रत्येक माह 100 यूनिट आंकलित खपत लगाई गई है । जनवरी 2016 में 150 यूनिट आंकलित खपत लगाई गई है ।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

अतः जून 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि में आवेदक ने 05 अक्टूबर 2015 को रू. 1646/– का भुगतान किया है । दि. 3/8/2016 को आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन को अस्थाई विच्छेदन करने के लिये रू. 200 का भुगतान कर अस्थाई विच्छेदन करने का निवेदन किया गया है । अनावेदक ने आवेदक का कनेक्शन का अस्थाई विच्छेदन भी नहीं किया एवं उसे आंकलित खपत के विद्युत देयक जारी रखा जो कि सेवा में घोर कमी को प्रदर्शित कर रहा है ।

फोरम का निर्णय :–1. अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि माह जून 2015, से मार्च 2016 तक, माह जुलाई 2015 अगस्त 2015 एवं अक्टूबर 2015 को छोड़ कर शेष 9 माहों में आंकलित खपत लगाकर दिये गये विद्युत देयकों से आंकलित खपत हटाकर विद्युत देयक मीटर में दर्ज खपत लेकर या टैरिफ मीनिमम के अनुसार तत्समय प्रचलित टैरिफ के अनुसार विद्युत देयकों को संशोधित करें एवं इस अवधि में आवेदक द्वारा किये गये भुगतान को समायोजित करें ।

2. मार्च 2016 के पश्चात् आवेदक के विद्युत कनेक्शन को तत्समय प्रचलित टैरिफ अनुसार टैरिफ मिनीमम के विद्युत देयक माह अप्रेल 2017 से जुलाई 2017 तक जारी करें ।

3. आवेदक के परिसर में तत्काल मीटरयुक्त कनेक्शन दिया जावे ।

आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

पालन प्रतिवेदन आदेश की प्रति प्राप्त होने के 15 दिवस में आवेदक एवं फोरम को एक–एक प्रति भेजें ।

प्रकरणः निर्णीत

आदेश : पारित

दिनांक : 24.07.2017

स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस. मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ECGRFBPL.bhopal@mpcz.co.in)

प्रकरण क्र.जी.टी.13/2017

श्री राजीव गुप्ता,
पुत्र श्री महेश कुमार,
डॉ. लुम्बा के पीछे, **(आवेदक)**
जाटव मौहल्ला ललितपुर कॉलोनी, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर. (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग, (केन्द्रीय), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर, (म.प्र.)

आदेश

आज– 26 .07.2017 को पारित किया गया।

1.आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/13 दिनॉक 13.06.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 13.07.17 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. आवेदक का कथन :–आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक उपभोक्ता निम्नलिखित निवेदन करता है:–

मेरा घरेलू विद्युत सर्विस कनेक्शन क्रं. 2425006–28–25–0195362000 बी.ए. है ।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

श्रीमान्जी से निवेदन है कि मैने 27/05/2017 को आवेदन दिया था जिसका निराकरण 07/06/2017 तक नहीं किया गया और में जब भी बाराघोट जोन ऑफिस गया तब पता चला कि उसका कोई निराकरण नहीं किया गया अधिकारियों का कहना था कि मीटर की कीमत माफ हो जाएगी लेकिन रीडिंग का जो बिल बनाया गया है उसको आपको भरना ही होगा । मुझे समझाया गया कि आपके मीटर की गति धीमी हो गई थी । मैंने पूछा कि आपने धीमी गति का कैसे पता लगाया जबकि मीटर आपके कर्मचारियों द्वारा बदलने पर पूरी तरह जल गया था और मीटर टेस्टिंग लेब में यही पाया गया और फिर 06/06/17 को मेरे घर पर बिजली कर्मचारियों का कागज आया जिसमें मीटर की राशि और अक्टूबर 16, नवम्बर 16 और दिसम्बर 16 का बिल दिया गया । जो पूरी तरह गलत है । अब अगर गलती हुई है तो आपके कर्मचारियों द्वारा और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई अगर मीटर जलने में कोई कार्यवाही होती तो उसका हर्जाना कौन देता ।

कृपया मेरा बिल माफ कर मुझे मानसिक शांति प्रदान करें आपकी अति कृपा होगी ।

अनावेदक का कथन :– अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया वह निम्नानुसार है :–

यह कि शिकायतकर्त्ता केमीटर की खपत संदिग्ध होने के कारण संबंधित जोन के अधिकारी के द्वारा कनेक्शन क्रं. 10514/47 दि. 03.04.17 तैयार किया गया था । मीटर को एल.टी.एम.टी. लैब में भेजने हेतु पैक करने के लिये मीटर निकालते समय अचानक स्पॉर्क होने के कारण मीटर बॉक्स काला पड़ गया था एवं यथा स्थिति मीटर को उपभोक्ता के समक्ष सील बंद करके गत्ते के डिब्बे में पैक किया गया ।

यह कि एल.टी.एम.टी. लैब की रिपोर्ट के अनुसार मीटर जला हुआ था, मीटर परीक्षण करने योग्य नहीं रहा । शिकायतकर्त्ता की पासबुक का अवलोकन करने पर पाया कि शिकायतकर्त्ता का मीटर चार माह (जनवरी से अप्रेल 2017 तक) खराब रहा है । शिकायतकत्त्र के द्वारा माह जनवरी 17 में 97 यूनिट माह फरवरी में 63 यूनिट माह मार्च 17 में 55 यूनिट तथा अप्रेल 17 में 65 यूनिट खपत की गई है । मध्यप्रदेश विद्युत नियामक –

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

आयोग भोपाल के द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 (ख) के दिशा निर्देशों के अनुसार जब मीटर त्रुटिपूर्ण हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयंत्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयंत्र वाचन के मासिक औसत खपत के आधार पर किया जावेगा । इसके लिये मीटर त्रुटिपूर्ण होने से पूर्व माह अक्टूबर 16 से दिसम्बर 16 में की गई खपत (क्रमशः 156+190+135=481 यूनिट) औसत खपत 160 यूनिट होती है । जिसके अनुसार शिकायतकर्त्ता को माह जनवरी 17 से माह अप्रेल 17 तक ($4^{\times}160=640$) यूनिट देयक का भुगतान किया जाना चाहिये था, लेकिन इनके द्वारा मात्र माह जनवरी 17 से अप्रेल 17 तक (97+63+55+65=280 यूनिट) 280 यूनिट का भुगतान किया गया है । (सुलभ संदर्भ हेतु पासबुक की छायप्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है) इस प्रकार शेष यूनिट (640–280=360) यूनिट का पूरक देयक राशि रू. 2793/– एवं मीटर कॉस्ट राशि रू. 1275/– कुल राशि रू. 4068/– का भुगतान हेतु प्रेषित किया गया है ।

यह कि शिकायतकत्त्रा के द्वारा दि. 27/05/17 को मीटर जले होने बाबत् शिकायत करने पर उसके आवेदन पर कम्पनी द्वारा सहानुभूतिपूर्व विचार करने के प्श्चात् पूरक देयक राशि रू. 4068/– में से मीटर की कॉस्ट की राशि रू. 1275/– कम करके शेष राशि 2793/– का संशोधित देयक दि. 03.06.17 भुगतान हेतु जारी किया गया है । (सुलभ संदर्भ हेतु संशोधित देयक की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है)

अतः कम्पनी द्वारा जो उपरोक्त कार्यवाही की गई है वह म.प्र.वि.प्र. संहिता 2013 की कंडिका क्रं.8.35 (क) के नियमानुसार की गई है । बिलिंग में सेशोधन किया जाना उचित नहीं है । शिकायत निरस्त किये जाने का कष्ट करें ।

फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

आवेदक श्री राजीव गुप्ता का एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रं. 2425006–28–25–0195362000 बी.ए. है । जिसका संयोजित भार 3000 वॉट है ने फोरम के समक्ष कथन किया कि उसे माह अक्टूबर 2016, नवम्बर 2016 एवं दिसम्बर 2016 में मीटर को धीमा मानते

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

हुए इन माहों में उसे आंकलित खपत लगाते हुए रू. 4066/– का विद्युत बिल दिया गया जब कि उसके द्वारा निवेदन किया कि मीटर तो कम्पनी के कर्मचारियों की गलती से निकालते समय जला है । तब कम्पनी के अधिकारियों द्वारा उसे संशोधित बिल (मीटर जले की राशि को हटाने के बाद) राशि रू. 2793/– का बिल दिया । जो कि मीटर धीमा मानते हुए आंकलित खपत का है । जब कि मीटर पूर्णतः जल चुका था तो मीटर धीमा कैसे पाया गया । जब कि मीटर परीक्षण रिपोर्ट में भी जला पाया गया न की धीमा पाया गया। निवेदन है कि उसे माह अक्टूबर 2016, नवम्बर 2016 एवं दिसम्बर 2016 के विद्युत दयेकों में लगाई गई आंकलित खपत हटाकर संशोधित बिल दिया जावे ताकि वह उसका भुगतान कर सके ।

अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि आवेदक को म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 (ख) में दिये निर्देशानुसार विद्युत बिल जारी किया गया है जो कि उचित है । आवेदक को मीटर की कीमत लगा कर पूर्व में जारी किये गये पूरक विद्युत देयक राशि रू. 4066/– में से राशि रू. 1275/– मीटर कीमत कम करके संशोधित बिल राशि रू. 2793/– जारी किया गया जो सही है एवं वसूली योग्य है ।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा फोरम द्वारा की गई ।

अनावेदक ने आवेदक के घरेलू विद्युत संयोजन की खपत माह जनवरी 2017 से अप्रेल 2017 तक उसके विद्युत मीटर में खपत कम दर्ज होने की शंका के तहत 3 अप्रेल 2017 को आवेदक के परिसर को चेक किया गया एवं उसके परिसर में स्थापित विद्युत भार चेक किया गया एवं मीटर बदला गया । जिसका मौके पर पंचनामा/स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आवेदक की उपस्थिति में बनाया गया । जिस पर आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं । जिसमें आवेदक के परिसर का संयोजित भार 2551 वॉट पाया गया । पंचनामे में अनियमितताओं के कॉलम में मीटर की खपत भार के अनुसार संदेहास्पद है, अंकित है एवं मौका नक्शा के कॉलम में नोट मीटर को बदलते समय अचानक स्पॉर्क से मीटर बॉक्स काला पड़ गया एवं यथा स्थिति मीटर को उपभोक्ता के सामने सील बंद गत्ते के डिब्बे में पैक किया गया अंकित है तथा आवेदक ने पंचनामें में नोटः मीटर बदलते समय बिजली कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मीटर बुरी तरह से आग लग गयी और आग की लपटे बाहर तक निकली, जब कि मीटर चालू था, अंकित है । विद्युत मीटर परीक्षण लेब, ग्वालियर में मीटर दिनांक 04.04.2017 को 11.30 बजे

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

मीटर का परीक्षण किया गया । परीक्षण रिपोर्ट में विसंगतियों के कॉलम में मीटर का निरीक्षण करने पर मीटर जला पाया गया मीटर परीक्षण करने योग्य नहीं है । मीटर जला है अंकित है, बाकि मीटर में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति पाई जाना अंकित नहीं है । पंचनामें में मीटर में दर्ज रीडिंग 25997 भी दर्ज है ।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता पास बुक की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आवेदक के विद्युत संयोजन की खपत वर्ष वार 2014, 2015, 2016 एवं वर्तमान वर्ष 2017 के अप्रेल 2017 तक विद्युत खपत का पेटर्न भी लगभग एक समान है एवं 03.04.2017 को स्थापित मीटर में दर्ज खपत दो माह की भी लगभग पुराने मीटर में दर्ज खपत के समान है ।

अतः अनावेदक का यह कहना सही नहीं है कि आवेदक का मीटर जनवरी 2017 से अप्रेल 2017 तक धीमा चल रहा था । पंचनामा क्रमांक 101514/47 दिनांक 03.04.2017 में भी मीटर बदलते समय मीटर में रीडिंग 25997 दर्ज हुई है । अतः आवेदक का मीटर पहले से धीमा नहीं था, मीटर बदलते समय अनावेदक कम्पनी के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मीटर में स्पॉर्क होकर मीटर जल गया ।

अतः उपरोक्त विवेचना उपरान्त फोरम इस नतीजे पर पहुंचा कि आवेदक का मीटर 03 अप्रेल 2017 मीटर बदलने की दिनांक तक ठीक था तथा यह मीटर अनावेदक कम्पनी के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जला है । जिसकी पुष्टि पंचनामा क्रं. 101514/47 दिनांक 03/04/2017 में अंकित विवरण से भी होती है एवं उपभोक्ता पासबुक के अवलोकन से भी होती है कि आवेदक के विद्युत संयोजन की खपत का स्वरूप वर्ष 2014 से 2016 तक एवं वर्तमान वर्ष 2017 अप्रेल 2017 तक का माह वार लगभग एक समान है एवं नये मीटर में भी दर्ज 2 माह की खपत भी पूर्व माह की खपत के अनुरूप है ।

फोरम का निर्णय :–अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक को जारी औसत खपत के विद्युत देयक माह जनवरी 2017 से अप्रेल 2017 तक 04 माह को निरस्त करें । मीटर त्रुटिपूर्ण होने की दशा में ही बिलिंग म.प्र. नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की – कंडिका 8.35 (ख) के अनुसार की जाती है । प्रश्नाधीन प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है, अतः मीटर में दर्ज खपत के अनुसार ही जारी बिल को सही माना जावे ।

आवेदक की शिकायत निराकृत ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरणः निर्णीत

आदेश : पारित

दिनांक : 26.07.2017

स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस. मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 07 / 2017

प्रति,
श्री संजय दुवे ,
पुत्र श्री केदारनाथ दुवे,
ग्राम मछन्द, तह. मिहोना
भिण्ड। (म.प्र.)

विषय : फोरम के निर्णय दिनॉक 17.07.2017 के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–55 / 2017 दिनॉक 25.01.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 17.07.2017 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति
–सही–

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

उपमहाप्रबंधक (सं. / सं.) संभाग म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भिण्ड (म.प्र.) –निर्णय की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : निर्णय की प्रति
–सही–

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.55/2017

25.01.2017

श्री संजय दुवे ,
पुत्र श्री केदारनाथ, **(आवेदक)**
ग्राम मछन्द, तह. मिहोना
भिण्ड।(म.प्र.)

वरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, (सं./सं.) संभाग,**(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
भिण्ड़। (म.प्र.)

आदेश

आज–17.07.2017 को पारित किया गया।,

1.आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/55 दिनॉक 25.01.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 08.02.2017, 08.03.2017, 12.04.2017, 16.05.2017, 07.06.2017 एवं 13.07.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. आवेदक का कथन :–आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक ग्राम मछन्द में निवास करता है तथा अपनी जीविका के लिये कृषि का कार्य करता है। आवेदक ने व्यापार करने की मंशा से एक दुकान किराये पर लेकर उस दुकान में विद्युत की आवश्यकता हेतु अनावेदक कम्पनी में एक नये गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिये फरवरी 2002 में 1,000/– रू. जमा किये, जिस पर अनावेदक द्वारा उक्त कनेक्शन शीघ्र ही वांछित दुकान में लगाये जाने का आश्वासन आवेदक को दिया गया।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

उक्त राशि जमा करने के पश्चात अनावेदक द्वारा आवेदक को उक्त दुकान में भी विद्युत कनेक्शन नही दिया गया, जिस पर आवेदक द्वारा उक्त किराये पर ली गई दुकान को खाली कर अपना व्यवासय नही किया गया एवं अपना व्यवसाय करने का विचार त्याग दिया गया।

आवेदक द्वारा पंचायत चुनाव के लिये अनावेदक विभाग में जाकर नो–डयुज मांगे जाने पर अनावेदक द्वारा आवेदक को बताया कि उसे नो–डयुज प्रमाण पत्र नही दिया जा सकता क्योकिं आवेदक पर विद्युत विभाग की 32,234/– रू. की रकम बकाया है तथा अनावेदक द्वारा उक्त दिनांक को ही आवेदक को संलग्न क्रमांक 1 माह दिसम्बर 2009 के विद्युत बिल प्रदान किया गया।

आवेदक को उक्त बिल प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा उक्त बिल के सम्बध में अपनी लिखित आपत्ति दिनांक 29.12.2009 को आवक क्रमांक 547 पर अनावेदक कार्यालय में प्रस्तुत की गई परन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक की उक्त आपत्ति का कोई निराकरण नही किया गया।

आवेदक की आपत्ति का कोई निराकण न किये जाने पर आवेदक ने अपने अभिभाष्क के माध्यम से दिनांक 05.01.2010 को एक सूचना पत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अनावेदक को भिजवाया, जिसे प्राप्त होने के उपरान्त भी अनावेदक द्वारा आवेदक की समस्या का कोई समाधान नही किया गया बल्कि उक्त संलग्न क्रमांक 1 माह दिसम्बर 2009 के विद्युत बिल की राशि को जमा किये बिना आवेदक को नो–डयुज देने से मना कर दिया गया।

अनावेदक द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद भी बिल में सुधार ना किये जाने पर आवेदक ने माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, भिण्ड के समक्ष एक शिकायत क्रमांक 50/2010 प्रस्तुत की, जिसे माननीय फोरम द्वारा प्रचलन योग्य न मानते हुये दिनांक 21.04.2010 को निरस्त कर दिया गया।

माननीय फोरम द्वारा आवेदक की शिकायत निरस्त किये जाने पर आवेदक ने अपनी उक्त शिकायत के संबंध में एक रिट याचिका क्रमांक 2321/2010 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की वहस सुनने के बाद दिनांक 04.05.2016 को इस आदेश के साथ निराकृत किया कि प्रश्नगत विवाद को निराकरण हेतु के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तथा विद्युत शिकायत निवारण फोरम आवेदक की उक्त समस्या का समाधान करे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये उक्त आदेश के पालन में आवेदक द्वारा यह अभ्यावेदन विधिक निराकरण हेतु फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अनावेदक का कथन :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता द्वारा शिकायत निवारण के संबंध में लेख है कि उपभोक्ता द्वारा प्रेषित अभिलेखो के अनुक्रम में वितरण केन्द्र प्रभारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया तदोउपरांत पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा पान मसाला/गुटखा फैक्ट्री चलाने के लिए उक्त कनेक्शन लिया गया लेकिन शासन द्वारा अनुमति न मिल पाने के कारण विद्युत कनेक्शन का उपयोग नही किया गया।

अतः इस संबंध में आज दिनांक 12.05.2017 की स्थिति में 1060025/– रू. फाल्स बिलिंग समाप्त कर विद्युत कनेक्शन स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है जिसका आदेश क्रमांक 241 दिनांक 12.05.2017 पत्र के साथ संलग्न है।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदक ने विद्युत वितरण कम्पनी से एक गैर घरेलू विद्युत संयोजन एक किराये की दुकान लेकर उसमें सिंगल फेस निम्न दाब विद्युत वोल्टेज पर फरवरी 2002 में रू. 1000/– जमा कर 1680 वाट विद्युत भार का विद्युत संयोजन हेतु जमा कराए अनावेदक ने आवेदक को श्री संजय दुबे/कैदार दुबे के नाम से मिहोना वितरण केन्द्र से विद्युत संयोजन क्रमांक 484806–90–16–51118 गैर घरेलू सिंगल फेस निम्नदाव लाईन 1680 वाट बिना मीटर लगाए दिया गया।

आवेदक द्वारा पंचायत चुनाव के लिये विद्युत विभाग से नो डयूज प्रमाण पत्र मांगे जाने पर आवेदक को बताया गया कि उसे नो डयूज प्रमाण पत्र नही दिया जा सकता क्योकि आवेदक पर विद्युत विभाग की रू. 32234/– बकाया है एवं बकाया राशि का बिल माह दिसम्बर 2009 रू. 32234/– का प्रदान किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 29.12.2009 को आवेदक ने इस विद्युत बिल के विरूद्ध आपत्ति दर्ज करते हुए एक आवेदन अनावेदक को दिया गया। इस पर अनावेदक द्वारा कोई कार्यवाही नही की जिसके पश्चात आवेदक ने अपने अभिभावक के द्वारा दिनांक 05.01.2010 को एक नोटिस रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अनावेदक को भिजवाया गया जिसे अनावेदक को प्राप्त होने के बाद भी उसके समस्या का समाधान नही किया गया। आवेदक ने अपने उक्त बिल को सुधार न होने पर जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम भिण्ड़ के समक्ष एवं शिकायत 50/2010 प्रस्तुत की जिसे माननीय फोरम ने प्रचलन योग्य न मानते हुए दिनांक 21.04.2010 को निरस्त कर दिया गया।

माननीय फोरम द्वारा शिकायत निरस्त किये जाने पर आवेदक ने अपने बिल सुधार की शिकायत के सम्बंध में एक रिट याचिका क्रमांक 2321/2010 माननीय उच्च न्यायायल खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष प्रस्तु की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात दिनांक 04.05.2016 को आदेश पारित कर आदेश में आवेदक को निर्देशित किया कि वह अपनी शिकायत उचित फोरम विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल जिसकी बेंच ग्वालियर में लगती है के समक्ष प्रस्तुत करे। जिसे फोरम नियमों के अनुसार आपकी शिकायत का निराकरण करेगे। अतः आवेदक अपनी शिकायत विद्युत उपभोक्ता फोरम के समक्ष इस आदेश के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करे।

आवेदक ने अपनी शिकायत विद्युत उपभोक्ता फोरम भोपाल के समक्ष दिनांक 20.01.2017 को प्रस्तुत की जिसे फोरम ने शिकायत की गंभिरता को देखते हुए आवेदक के आवेदन को स्वीकरते हुए प्रकरण दिनांक 25.01.2017 को पंजीकृत कर सुनवाई की गई।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

अनावेदक ने आवेदक की शिकायत दिनांक 29.12.2009 एवं अभिभावक के नोटिस दिनांक 05.01.2010 को दिये गये के उपरांत भी उसकी शिकायत को अनसुना किया गया जो कि अनावेदक कम्पनी की सेवा में कमी को प्रदर्शित करता है। अनावेदक ने दिनांक 16.05.2017 को प्रकरण में लिखित जबाव प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उपभोक्ता के परिसर का भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा पान मसाला (गुटका) फैक्ट्री चलाने के लिये विद्युत कनेक्शन दिया गया था। परन्तु उपभोक्ता को शासन द्वारा अनुमति न मिलने के कारण विद्युत का उपयोग नही किया गया। जिसके कारण से दिनांक 12.05.2017 की स्थिति में उपभोक्ता को जारी फाल्स विद्युत देयको की बकाया राशि रू. 106025/– को समाप्त कर दिया गया एवं उपभोक्ता के विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया है।

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम के समक्ष किये गये कथनो की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक ने फरवरी 2002 में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी से एक गैर घरेलू सिंगल फेस विद्युत कनेक्शन क्रमांक 90–16–51118 संयोजित भार 1680 वाट पान गुटका मसाला (गुटका) फैक्ट्री चलाने हेतु श्री संजय दुबे पुत्र श्री कैदारनाथ दुबे के नाम से ग्राम मछन्द तहसील मिहोना भिण्ड में लिया था। लेकिन आवेदक को शासन द्वारा पान मसाला (गुटका) फैक्ट्री चलाने की अनुमति नही मिलने के कारण विद्युत का उपयोग नही किया जा रहा था। अनावेदक द्वारा बिना मीटर लगाये एवं कनेक्शन दिये 27.02.2002 से आवेदक की बिलिंग चालू कर दी गई थी। अनावेदक ने वर्तमान में आवेदक के परिसर का भौतिक सत्यपन किया गया जिसमें पाया गया कि आवेदक द्वारा विद्युत का उपयोग नही किया गया एवं आवेदक का विद्युत देयकों की फाल्स बिलिंग बकाया राशि दिनांक 12.05.2017 की स्थिति में रू. 106025/– को समाप्त कर दिया गया है एवं आवेदक के विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित बताकर बिलिंग बंद कर दी गई है। आवेदक प्रतिनिधि ने भी फोरम के समक्ष कथन किया कि अनावेदक द्वारा उसकी शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। और वह की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।

आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 17.07.2017
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 07 / 2017

प्रति,
श्री बलवंत सिंह कुशवाह ,
पुत्र श्री बावूलाल कुशवाह,
ग्राम रिझोरा, तह. चीनौर,
परगना भितरवार, ग्वालियर। (म.प्र.)

विषय : फोरम के निर्णय दिनॉक 19.07.2017 के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–68 / 2017 दिनॉक 16.02.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 19.07.2017 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति
–सही–

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

उपमहाप्रबंधक (सं. / सं.) संभाग म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) –निर्णय की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : निर्णय की प्रति
–सही–

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.68/2017

16.02.2017

श्री बलवंत सिंह कुशवाह,
पुत्र श्री बावूलाल कुशवाह, **(आवेदक)**
ग्राम रिझोरा, तह. चीनौर,
परगना भितरवार, ग्वालियर।(म.प्र.)

वरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, (सं./सं.) संभाग,**(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर। (म.प्र.)

आदेश

आज–19.07.2017 को पारित किया गया।,

1.आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/68 दिनॉक 16.02.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 08.03.2017, 12.04.2017, 16.05.2017, 07.06.2017 एवं 13.07.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. आवेदक का कथन :–आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी ग्राम रिझोर विद्युत वितरण जोन चीनौर का लघु कृषक होकर काश्तकारी का कार्य करता है। प्रार्थी ने सिंचाई हेतु जोन क्षेत्र चीनौर से सर्विस क्रमांक 99–01–2601 का विद्युत कनेक्शन आर 3 हार्स पॉवर स्वीकृत कराया था। प्रार्थी उक्त विद्युत कनेक्शन का वर्ष 1998–99 से उपयोग कर निरंतर विद्युत बिल का भुगतान करता चला आ रहा था। विद्युत जोन क्षेत्र चीनौर ने प्रार्थी की सहमति व संज्ञान में लाये बिना उक्त विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार जो वर्ष 30.04.2008

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

तक कायम रहा उसके स्थान पर माह अक्टूबर 2014 में आर 5 हर्स पॉवर बढ़ाकर तथा माह अक्टूबर 2015 में स्वीकृत भार के स्थान पर मनमाने रूप से आर 8 हार्स पॉवर बढ़ाकर भुगतान हेतु 29087/– रू. का बिल जारी कर दिया प्रार्थी ने जोन क्षेत्र चीनौर में संबंधित विद्युत वितरण अधिकारी से अनुरोध किया कि मेरे विद्युत कनेक्शन का मौके पर चलकर उसकी जांच की जावे। जितना भार अंकित किया गया है उसका प्रार्थी के द्वारा उपयोग नही किया जा रहा है किंतु संबंधित अधिकारी द्वारा मेरे कनेक्शन का निरीक्षण नही किया गया और न ही बिलिंग राशि में वास्तविक राशि का निर्धारण न कर अवैध रूप से अत्यधिक बिलिंग राशि की मांग की जा रही है।

इसके संदर्भ में प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.12.2015 को रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से सीएम डी शक्ति भवन जबलपुर संभागीय कार्यपालन अभियंता म.प्र. विद्युत वितरण कं. मोतीझील ग्वालियर म.प्र. डिवीजन इंजीनियर भितरवार रोड डबरा एवं कनिष्ठ अभियंता जोन क्षेत्र चिनौर जिला ग्वालियर म.प्र. को सूचना पत्र भी भेजा गया है। पंरतु कंपनी द्वारा फिर भी कोई कार्यवाही नही की गई न ही सूचना पत्र का जबाव दिया गया।

अतएव निवेदन है कि प्रार्थी के विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 3 हार्स पॉवर जिसका प्रार्थी के द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग किया जा रहा है उसके स्थान पर जोन चिनौर ने भार 8 हार्स पॉवर किस प्रकार कायम कर अत्यधिक बिल राशि की मांग की जा रही है जिसके निराकरण हेतु सुपरवाईजर विद्युत वितरण जोन क्षेत्र चिनौर को आदेशित किया जावे कि वह प्रार्थी के विद्युत कनेक्शन को मौके पर जाकर विधिवत जांच कर यह निर्धारित करे की प्रार्थी का विद्युत पंप कनेक्शन के स्वीकृत भार का उपयोग किया जा रहा है तो 8 हार्स पॉवर का भार निरस्त कर 3 हार्स पॉवर के अनुसार बिलिंग राशि का निर्धारण कर विशुद्ध राशि प्रार्थी से भुगतान कराई जावे।

अनावेदक का कथन :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता श्री बलबंत सिंह पुत्र श्री बावूलाल कुशवाह निवासी रिझौरा के द्वारा फोरम में प्रकरण क्रमांक जी.टी./68 दिनांक 16.02.2017 को लगाया गया है। जिसमें उसके द्वारा लिखा गया है कि मेरे द्वारा सर्विस क्रमांक 99–01–2601 पर 3 हार्स पॉवर का विद्युत सिंचाई पंप के लिये 3 एच.पी. का कनेक्शन लिया गया था जो कंपनी द्वारा 7.5 एच.पी. का कर दिया गया है। उसमें सुधार किया जाना है प्रकरण के अनुसार मौके पर जाकर चैक किया गया चैक करने पर 3 एच.पी. की विद्युत मोटर पाई गई कम्प्यूटर द्वारा निकाली गई बिलिंग के अनुसार उपभोक्ता माह नवम्बर 2014 से 3 एच.पी. से 7.5 एच.पी. का कनेक्शन कर दिया गया है। अतः नवम्बर 2016 से अप्रैल 2017 तक की 7.5 एच.पी की बिल राशि रू. 25600/– नवम्बर 2014 से अप्रैल 2017 तक की 3 एच.पी. की बिलिंग की राशि रू. 9600/–, क्रेडिट की राशि रू. 16000/–, सरचार्ज राशि रू.3362/–, कुल क्रेडिट की राशि 19362/–, इसलिये रू. बिल की राशि में समायोजन करने के लिये आपकी स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदक ग्राम रिझौरा का लघु कृषक है ने विद्युत वितरण कैन्द्र चिनौर से कृषि कार्य हेतु 3 एच. पी. विद्युत पम्प कनेक्शन लिया गया था। जिसका सर्विस क्रमांक 99–01–2601 है का उपयोग वर्ष 1998–99 से निरंतर कर रहा है एवं विद्युत देयकों का भुगतान भी करता आ रहा था, लेकिन उसके संज्ञान में लाये बिना उसके विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार अक्टूबर 2014 से 3 एच.पी. से बड़ाकर 5 एच.पी. कर दिया गया एवं उसे 5 एच.पी. विद्युत भार के अनुसार विद्युत देयक जारी किये गये। माह अक्टूबर 2015 में पुनः विद्युत भार बड़ाकर 8 एच.पी. कर विद्युत देयक रू.29087/– का दिया गया। जिससे आवेदक सहमत न होकर विद्युत वितरण केन्द्र चिनोर के प्रभारी अधिकारी से अनुरोध किया कि उसके विद्युत कनेक्शन का मौके पर चलकर उसकी जांच की जावेएवं जितना भार पाया जावे उतने का विद्युत देयक दिया जावे। लेकिन अधिकारी द्वारा उसके विद्युत कनेक्शन का निरीक्षण नही किया गया और न ही विद्युत देयक वास्तविक विद्युत भार के अनुसार दिये गये और अवैध रूप से अत्यधिक राशि के विद्युत देयक दिये जा रहे है।

अतः निवेदन है कि विद्युत वितरण केन्द्र चिनौर के कनिष्ठ यंत्री को निदेर्शित करे कि उसके विद्युत पम्प कनेक्शन का निरीक्षण कर जांच में पाया गये स्वीकृत भार 3 एच.पी. भार के अनुसार उसे संशोधित विद्युत देयक दिये जाए ताकि वह उनका भुगतान कर सके एवं उसके द्वारा किये गये भुगतान का समायोजन कर उसे संशोधित विद्युत देयक दिया जावे। फोरम से यही निवेदन है।

अनावेदक ने प्रकरण में फोरम के समक्ष कथन किया कि आवेदक को माह नवम्बर 2014 से अप्रैल 2017 तक की गई 7.5 एच.पी. बिलिंग से 3 एच.पी. की बिलिंग की गई एवं आवेदक के विद्युत पम्प का भार 7.5 एच.पी. से 3 एच.पी. कर दिया गया है। तथा सी.सी.बी. रजिस्टर के पेज क्रमांक 400/16 के माध्यम से रू. (16000+3362) = 19362 का समायोजन कर दिया गया है। कृषि पम्प कनेक्शन की बिलिंग प्लेट रेट से की जाती एवं वर्ष में दो बार (माह अक्टूबर एवं अप्रैल) में विद्युत देयक जारी किये जाते है। इसलिये उपभोक्ता को संशोधित विद्युत देयक आगामी माह में जारी होने वाले विद्युत देयक माह अक्टूबर 2017 के विद्युत देयक में समायोजन हो जाएगा। अतः उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण नियमानुसार कर दिया है। अतः प्रकरण समाप्त किया जाए।

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम के समक्ष किये गये कथनो की समीक्षा उपरांत फोरम ने यह पाया कि अनावेदक ने आवेदक के कृषि पम्प विद्युत कनेक्शन क्रमांक 99–01–2601 का स्वीकृत विद्युत भार 3 एच.पी. से बिना किसी पूर्व सूचना के माह अक्टूबर 2014 में 5 एच.पी. बड़ाकर विद्युत देयक 5 एच.पी. के अनुसार जारी किये गये। माह अक्टूबर 2015 में पुनः विद्युत भार बढ़ाकर 7.5 एच.पी. कर विद्युत देयक रू.29087/– का का भुगतान हेतु दिया गया। आवेदक ने

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

अनावेदक को इस विद्युत देयक को संशोधित करने एवं उसके कृषि पम्प विद्युत कनेक्शन के भार को कम करने हेतु उसके पम्प कनेक्शन को चैक कर जो विद्युत भार पाया जाए उसके अनुसार विद्युत देयकों में सुधार करने का निवेदन किया था जिसे अनावेदक ने कोई सुनवाई नही की। जो कि सेवा में कमी को प्रदर्शित करता है। तत्पश्चात आवेदक ने फोरम के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

अनावेदक ने फोरम के निर्देशानुसार आवेदक के कृषि पम्प कनेक्शन को दिनांक 12.05.2017 को चैक किया गया। जिसमें उसके विद्युत कनेक्शन का संयोजित भार 2.8 एच.पी. पाया गया। जिसकी पुष्टि फोरम के समक्ष प्रस्तुत पंचनामा/स्थल निरीक्षण रिपोर्ट से होती है। अनावेदक ने आवेदक के कृषि पम्प कनेक्शन क्रमांक 99–1–2601 के संयोजित भार 7.5 एच.पी. बढ़ाकर विद्युत देयक जारी किये जा रहे थे। आवेदक के स्वीकृत विद्युत भार 3 एच.पी. कर उसके विद्युत देयक नवम्बर 2014 से अप्रैल 2017 तक तत्समय प्रचलित टैरिफ के अनुसार 3 एच.पी. विद्युत भार कृषि पम्प के अनुसार संशोधित कर राशि रू.19362/– की आवेदक को क्रेडिट दी जाएगी स्वीकार किया है। जिसकी पुष्टि अनावेदक द्वारा सहायक यंत्री के हस्ताक्षर से प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालयीन टीप से होती है।

फोरम का निर्णय :– अनावेदक को निदेर्शित किया जाता है कि आवेदक के कृषि पम्प विद्युत कनेक्शन क्रमांक 99–1–2601 के स्वीकृत भार 3 एच.पी. कृषि पम्प त्तसमय प्रचलित टैरिफ के अनुसार अक्टूबर बिल्ड नवम्बर 2014 से अप्रैल 2017 तक के विद्युत देयक संशोधित करे एवं आवेदक द्वारा उक्त अवधि में भुगतान की गई राशि को समायोजित करते हुए विद्युत देयक जारी करे।

अतः प्रकरण निर्णीत होकर प्रकरण को समाप्त किया जाता है। अनावेदक पालन प्रतिवेदन आदेश प्रप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करे।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 19.07.2017
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 07 / 2017

प्रति,
श्री अवध बिहारी चौबे,
रिलायंस पैट्रोल पम्प के सामने,
ग्वालियर रोड़ डबरा,
जिला, ग्वालियर। (म.प्र.)

विषय : फोरम के निर्णय दिनॉक 19.07.2017 के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–76 / 2017 दिनॉक 06.03.2017) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 19.07.2017 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति
–सही–

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

उपमहाप्रबंधक (सं. / सं.) संभागम.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., डबरा (म.प्र.) –निर्णय की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : निर्णय की प्रति
–सही–

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.76/2017

06.03.2017

श्री अवध बिहारी चौबे,
रिलायंस पैट्रोल पम्प के सामने, **(आवेदक)**
ग्वालियर रोड़ डबरा,
जिला, ग्वालियर।(म.प्र.)

वरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, (सं./सं.) संभाग,**(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., डबरा
जिला ग्वालियर। (म.प्र.)

आदेश

आज–19.07.2017 को पारित किया गया।,

1.आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/76 दिनॉक 06.03.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 12.04.2017, 16.05.2017, 07.06.2017 एवं 13.07.2017को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. आवेदक का कथन :–आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी के पिता स्व. श्री बालकृष्ण चौबे ने घेरलू उपभोग हेतु विद्युत कंपनी गोमतीपुरा डबरा से घेरलू उपयोग हेतु विद्युत कनेक्शन लिया था और मीटर लगवाया था उसी कनेक्शन को प्रार्थी सतत उपयोग कर रहा है जो कि उसके पिता के नाम से चला आ रहा था।

प्रार्थी उक्त घरेलू कनेक्शन का विद्युत बिल मीटर रीडिंग के अनुसार लगातार जमा कर रहा था किंतु 2–3 वर्ष पहले अचानक मीटर बंद हो गया जिसकी शिकायत प्रार्थी ने मीटर रीडर व कंपनी के कार्यालय गोमतीपुरा डबरा में कई बार की किंतु कंपनी द्वारा इस ओर कोई ध्यान नही

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

दिया और न ही मीटर चेंज किया और आंकलित खपत का विद्युत बिल जारी किया जाने लगा जिसे भरने में असमर्थ रहा।

प्रार्थी आंकलित और अवैधानिक विद्युत बिलों को भरने में असमर्थ है और प्रार्थी द्वारा कंपनी के कार्यालय में कई बार निवेदन किया गया लेकिन कंपनी के कर्मचारियो द्वारा इस समस्या कोई समाधान नही किया गया है।

कंपनी द्वारा जारी आंकलित बिलों की राशि लगभग 1,50,000/– रू. इक्ट्ठी हो गई जो कि अवैधानिक राशि है जिसे प्रार्थी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने से असमर्थ है प्रार्थी नया मीटर लगाकर अगले एक माह में मीटर रीडिंग का गणना अनुसार उक्त विद्युत बिल भरने तैयार है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की विद्युत बिलों की आंकलित व अवैधानिक राशि समाप्त कर नवीन मीटर लगाकर जो भी रीडिंग आवेगी उसकी गणना अनुसार प्रार्थी संपूर्ण राशि जमा करने को तैयार है।

अनावेदक का कथन :–अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपरोक्त शिकायत बिन्दुवार लेख निम्नानुसार है।

1. यह कि, उपभोक्ता द्वारा विद्युत कनेक्शन स्व. श्री बालकृष्ण चौबे के नाम से लिया गया एवं आज दिनांक तक विद्युत का उपयोग परिसर पर हो रहा है। परन्तु उपयोगकर्ता द्वारा विद्युत बिल में नाम परिवर्तन हेतु किसी भी प्रकार का कोई आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया है।
2. यह कि, उपभोक्ता द्वारा मीटर परिवर्तन हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन विभाग में प्रस्तुत नही किया गया है।
3. यह कि, लाईन मैन श्री घनश्याम शर्मा द्वारा परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें परिसर पर 5 सी.एफ.एल., 3 पंखे, 2 कूलर, 1 फ्रिज, 1 टी.वी., 1 वाशिग मशीन, तथा 1 टिल्लू पम्प जिनका कुल भार 1525 वॉट उपयोग पाया गया।
4. यह कि, दिनांक 11.03.2017 को उपभोक्ता का मीटर परिवर्तित किया गया, जिसमें दिनांक 11.05.2017 की खपत 535 यूनिट दर्ज हुयी है।
5. यह कि, उपभोक्ता के परिसर पर उपयोग होने वाला भार एवं मीटर एवं दर्ज हुयी खपत के आधार पर एवं विद्युत सप्लाई कोड की कंडिका 8.35 (बी) के आधार पर विद्युत देयक पूर्णतया सही है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये प्रकरण को निरस्त कर विद्युत देयक भुगतान किये जाने हेतु उपभोक्ता को आदेशित किये जाने का कष्ट करे।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदक ने कथन किया कि उनके पिता स्व. श्री बालकृष्ण चौबे के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2404608–15–4–7236281000 है, जिसका संयोजित भार 2000 वाट है। जिसका आवेदक उपयोग कर रहा है। दो तीन वर्ष पहले आवेदक का मीटर अपने आप खराब हो गया जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा कम्पनी कार्यालय में की गई थी। लेकिन कर्मचारियो द्वारा मीटर नही बदला गया एवं आंकलित खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी किये जा रहे है, जो कि अनैतिक बिल है जिन्हे समाप्त किया जावे।

अनावेदक ने प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करते हुए फोरम के समक्ष कथन किया कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन स्व. श्री बाल कृष्ण चौबे के नाम से है। जिसका सर्विस क्रमांक 244608–15–4–7236281000 है। आवेदक ने आज दिनांक तक किसी भी प्रकार से कार्यालय में नाम परिवर्तन के लिये आवेदन नही किया है एवं विद्युत का उपयोग वह उक्त कनेक्शन से करता आ रहा है। तथा मीटर परिवर्तन हेतु किसी प्रकार आवेदन विभाग में प्रस्तुत नही किया गया। परिसर का निरीक्षण लाईन मेन श्री घनश्याम शर्मा द्वारा किया गया एवं परिसर में 5 सी.एफ.एल, 3 पंखे, 2 कूलर, 1 फ्रिज, 1 टी.वी., 1 वांशिग मशीन, एक टिल्लू पम्प, कुल विद्युत भार 1525 वाट उपयोग पाया गया। इसके उपरांत 11.03.2017 को आवेदक का मीटर बदल दिया एवं नया मीटर लगा दिया गया। दिनांक 11.05.2017 को मीटर में 535 यूनिट खपत दर्ज हुई है। अतः पूर्व में जारी विद्युत देयक सप्लाय कोड 2013 की कंडिका 8.35 (ब) एवं मीटर में दर्ज खपत के आधार पर पूर्णतः सही है। अतः उपभोक्ता/आवेदक का आवेदन निरस्त करने योग्य है। एवं बिल की बकाया राशि जमा करने योग्य है। यदि आवेदक 31 मई 2017 तक बिल बकाया राशि जमा करने हेतु सहमत है तो प्रचलित समाधान योजना का लाभ आवेदक को दिया जा सकता है।

आवेदक के प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र शर्मा अधिवक्ता ने फोरम के समक्ष कथन किया कि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मार्च 2017 में आवेदक के परिसर पर नवीन विद्युत मीटर लगाया गया है जिसमें आज दिनांक तक 535 यूनिट दो माह में खपत दर्ज हुई है। जबकि कम्पनी द्वारा आवेदक को पिछले कई विद्युत बिलों में 500 यूनिट आंकलित खपत लगाई गई जो कि नवीन मीटर लगने से यह स्पष्ट हो गया है कि आवेदक की मासिक खपत 250 यूनिट है। अतः विद्युत कम्पनी द्वारा वर्ष 2013 से 2017 के बीच में मीटर खराब हो जाने से जो आंकलित खपत के बिल जारी किये गये वे समाप्त करना उचित है। 10 मार्च 2017 को रू.40,000/– आवेदक द्वारा बकाया राशि के विरूद्ध जमा किये उसे भी समायोजित किया जावे।

अनावेदक को फोरम के निदेर्शित किया कि आवेदक के नवीन मीटर में तीन माह (11.03.2017 से 11.06.2017 तक) अथवा तीन पूर्ण मीटर वाचन चक्रों की खपत की औसत लेकर आवेदक के विद्युत

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

देयको में लगाई गई आंकलित खपत हटाकर विद्युत देयक संशोधित कर फोरम के समक्ष दिनांक 07.06.17 को प्रस्तुत करे। दिनांक 07.06.2017 को अनावेदक एवं आवेदक दोनो पक्षो अनुपस्थित रहे।

दिनांक 13.07.2017 को अनावेदक प्रतिनिधि श्री एम.ए. इकबाल सहायक यंत्री डबरा वितरण केन्द्र उपस्थित हुए एवं कथन किया कि जो मीटर में खपत आई है उक्त खपत सर्दी के माहों की है। सर्दी एवं गर्मी माहो में खपत में अन्तर होता है। अतः संपूर्ण देयको जो उक्त खपत के अनुसार विद्युत देयकों में संशोधन करना उचित नही होगा। माह जून में जारी किये गये बिल जो कि एक माह का 493 यूनिट है इससे उक्त कथन स्वतः ही प्रमाणित होता है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि उक्त तथ्यो को संज्ञान में लेते हुए निर्णय लेने की कृपा करे एवं प्रकरण को समाप्त करने का काष्ट करे।

आवेदक प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र शर्मा अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में कथन किया कि विद्युत कम्पनी द्वारा हमारे परिसर में दिनांक 11.03.2017 को मीटर स्थापित किया गया था एवं 11.05.2017 को दो माह की खपत 535 यूनिट कम्पनी द्वारा दर्ज की गई थी। विद्युत कम्पनी के अधिकारियों द्वारा यह कथन गलत है कि मार्च अप्रैल के माह में सर्दीयों का मौसम रहता है, इसलिये मीटर में खपत कम दर्ज हुई। अतः मेरा निवेदन है कि मौसम के अनुसार हमारा विद्युत बिल संशोधित किया जावे एवं आंकलित खपत हटाकर संशोधित बिल प्रदान किया जावे। फोरम से यदि निवेदन है।

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा कि गई उपभोक्ता पासबुक, के अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक को जुलाई 2013 से मार्च 2017 तक आंकलित खपत लगाकर विद्युत देयक जारी किये गये है। माह जुलाई 2013 से सितम्बर 2013 तक तीन माह में मीटर खपत 0 एवं आकलित खपत प्रत्येक माह 250 यूनिट लगाई है। माह अक्टूबर 2013 से फरवरी 2014 तक 5 माह प्रत्येक माह 300 यूनिट आंकलित खपत, माह मार्च 2014 से फरवरी 2016 से मार्च 2017 तक 13 माह प्रत्येक माह 500 यूनिट आंकलित खपत लगाई गई है। तथा आवेदक द्वारा 30 नवम्बर 2013 को रू. 6445/– का भुगतान किया गया पासबुक में अंकित है बाकि किसी भी माह कोई भुगतान नही किया गया।

आवेदक का यह कथन की उसने अपने विद्युत मीटर खराब होने पर उसे बदलने का आवेदन विद्युत कम्पनी को दिया था के पक्ष में कोई भी दस्तावेज फोरम के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया।

अनावेदक ने आवेदक द्वारा माह नवम्बर 2013 के पश्चात उसे जारी विद्युत देयकों का लगातार भुगतान न करने पर माह दिसम्बर 2013 से मार्च 2017 तक कोई भी कार्यवाही नही की जो कि सेवा में घौर कमी को प्रदर्शित करता है। अनावेदक को विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्यया 9 की कंडिका 9. 13 एवं 9.15 अनुसार **''उपभोक्ता द्वारा भुगतान में चूक किये जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह उपभोक्ता के संयोजन को अस्थाई विच्छेदन के बगैर, अधिकतम 3 माह की युक्तियुक्त अवधि के अध्यधीन जारी न रखा जाना सुनिश्चित करे। अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी का भी दायित्व होगा कि वह भुगतान में चूक करने वाले सभी प्रकरणों का नियमित रूप से अनुवीक्षण (मानीटर) किया जाना सुनिश्चित करे तथा अस्थायी या स्थायी रूप से संयोजन के विच्छेद हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्परता से समयबद्ध कार्यवाही की पहल करे।''**

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

''अस्थाई संयोजन विच्छेद के पश्चात, विद्युत प्रदाय उसी दशा में पुनस्थापित किया आएगा जब उपभोक्ता बकाया प्रभारों/देय राशि/निर्धारित की गई किश्त की राशि मय संयोजन विच्छेद तथा उसे जोड़ने के प्रभारों सहित भुगतान कर देता है।''

आवेदक का मीटर दिनांक 11.03.2017 को बदलकर नया मीटर स्थापित किया गया तथा दिनांक 11.05.2017 तक मीटर में 535 यूनिट खपत दर्ज हुई है। जो कि 61 दिन की खपत है। अनावेदक द्वारा दिनांक 13.07.2017 को कथन किया कि जून 2017 के माह की खपत 493 यूनिट है लेकिन यह नही बताया की मीटर में दर्ज यह यूनिट किस दिनांक से किस दिनांक तक की खपत है।

अतः फोरम मीटर स्थापित दिनांक 11.03.2017 से 11.05.2017 की अवधि 61 दिन की खपत 535 यूनिट को मान्य करते हुये 3 माह की खपत अथवा 90 दिन की खपत का औसत 266 यूनिट प्रतिमाह (30 दिन) खपत लेते हुए ओवदक के विद्युत देयक विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्यय 8 की कंडिका 8.35 (बी) के अनुसार **''ऐसे प्रकरण जहा मापयंत्र क्षतिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र स्थापित न किया गया हो या त्रुटीपूर्ण पाया गया है तो प्रदाय की गई, विद्युत की मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयंत्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयंत्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि यदि मापयंत्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटीपूर्ण होना पाया जाता है तो विद्युत की मात्रा का अकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन चक्रो की औसत मासिक खपत के आधार पर किया जा सकता है। जो इस प्रतिबंध के अंतर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार परिस्थिति है जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्ता के लिये की अन्याय पूर्ण थी। अतः उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभार अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण संतुष्ट न हो तोनिम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वह क्षेत्रीय उपसंभाग अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेगे जिनका निर्णय इस सम्बध में अंतिम होगा।''**

फोरम का निर्णय :–

अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक को जारी आंकलित खपत के विद्युत देयक जुलाई 2013 से मार्च 2017 तक 45 माह का निरस्त कर प्रत्येक माह औसत खपत 266 यूनिट प्रतिमाह लेते हुए विद्युत देयक संशोधित करे एवं आवेदक द्वारा उक्त अवधि में जारी विद्युत देयकों की भुगतान की गई राशि को समायोजित करते हुए संशोधित विद्युत देयक जारी करे।

अतः प्रकरण निर्णीत होकर प्रकरण को समाप्त किया जाता है। अनावेदक पालन प्रतिवेदन आदेश प्रप्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर फोरम को प्रस्तुत करे।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 19.07.2017
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ECGRFBPL.bhopal@mpcz.co.in)

प्रकरण क्र.जी.टी.77/2017

श्री रिंकू रावत,
पुत्र श्री दयाराम रावत,
निवासी रावत नगर कॉलोनी, **(आवेदक)**
चीनौर रोड, डबरा,
जिला–ग्वालियर. (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, (सं./सं.), संभाग, **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., डबरा,
जिला–ग्वालियर, (म.प्र.)

आदेश

आज– 21.07.2017 को पारित किया गया।

1.आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/77 दिनॉक 06.03.17 को पंजीकृत कर दिनॉक, 12.04.17, 16.05.17, 07.06.17 एवं 13.07.17 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. आवेदक का कथन :–आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक उपभोक्ता निम्नलिखित निवेदन करता हैः–

मेरा घरेलू विद्युत सर्विस कनेक्शन क्रं. 2404608–18–11–0956871000 डी.ए. है ।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

यह कि आवेदक ने घरेलू विद्युत उपयोग हेतु अनावेदक क्रमांक 2 की विद्युत कंपनी डबरा से विद्युत कनेक्शन लिया जिसका सर्विस कनेक्शन कं. 2404608–18–11–0956871000 डी.ए. है।

यह कि आवेदक के पिता स्व. श्री दयाराम पुत्र श्री हरगोविंद रावत के नाम पर गृह निवास रावत नगर कॉलोनी, चीनौर रोड, डबरा पर अनावेदक क्रंमाक 2 से घरेलू विद्युत कनेक्शन लिया था । जिस पर से अनावेदक क्रमाक 2 विद्युत कंपनी द्वारा दिनांक 3.2.2006 को अनावेदिका को विद्युत उपयोग की अनुमति बिना मीटर के दे दी और 1543 रूपये की रसीद प्रदान की और हर माह 100 यूनिट से अधिक या 300 रूपये की इसी प्रकार की रसीद काटने की बात कही । रसीद की प्रति एनेक्जर 1 है ।

यह कि आवेदक द्वारा कुछ दिनों तक 100 यूनिट से अधिक लगभग 300 रूपये का बिल भरा गया लेकिन कुछ दिनों बाद आंकलित और अनैतिक बिल दिया जाने लगा जब कि आज दिनांक तक आवेदक के निवास पर मीटर नहीं लगाया गया है और विद्युत बिल आंकलित खपत के आधार पर जारी किये जा रहे हैं ।

यह कि वर्तमान में आवेदक के उपर 93746 रूपये का विद्युत बिल इक्ट्ठा हो गया है जो आंकलित खपत के आधार पर जारी किया गया है। जिसे आवेदक भरने में असमर्थ है क्योंकि आवेदक की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है । आवेदक गरीब परिवार का सदस्य है । आवेदक के पिताजी का निधन हो चुका है, जिनके नाम से उक्त कनेक्शन लिया गया था आवेदक की आर्थिक स्थिति खराब है आवेदक मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करता है ।

यह कि अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा बिल भरे जाने के बाद फिर आंकलित खपत और अनैतिक बिल दिया जाने लगा और आवेदक के बार–बार निवेदन करने पर भी मीटर नहीं लगाया कई बार आवेदिका द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 की कंपनी में मीटर लगाने और बिल को सही करने हेतु निवेदन किया गया ।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

यह कि आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के कार्यालय में कई बार निवेदन किया गया कि हमारा विद्युत बिल मीटर में जो यूनिट आ रही है उस अनुसार या कनेक्शन देते समय आपने 300 रूपये प्रतिमाह लेने की बात कही थी उसी अनुरूप हम भरने को तैयार है लेकिन कंपनी के अधिकारियों द्वारा एक बात नहीं सुनी गई और न ही कोई निराकरण किया गया ।

यह कि दिनांक 18/12/2016 को आवेदक द्वारा आवेदन देकर आंकलित बिल एवं अनैतिक बिल राशि जमा करने में असमर्थता व्यक्त की और उक्त अनैतिक राशि को माफ कर उचित मीटर अनुरूप जो रीडिंग आ रही है हम वह राशि भरने को तैयार हैं लेकिन अनावेदक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लेने से इंकार कर दिया गया और आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं किया गया जिस कारण श्रीमान् फोरम की शरण लेना आवश्यक हुआ है ।

अतएव श्रीमान्जी से निवेदन है कि आंकलित बिल समाप्त कर जो उचित बिल बन रहा है या मीटर लगाकर एक माह की रीडिंग लेकर जो औसत निकले उस आधार पर हम बिल भरने को तैयार हैं ।

अनावेदक का कथन :– अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया वह निम्नानुसार है :–

यह कि आवेदक द्वारा घरेलू विद्युत उपयोग हेतु एक कनेक्शन लिया गया था जिसका सर्विस कनेक्शन क्रं. 2404608–18–11–0956871000 डी.ए. है।

यह कि उक्त कनेक्शन 01.12.2012 को लिया गया है। जिसमें 1543 रूपये की रसीद का उल्लेख आवेदन में किया गया है, वह विद्युत चोरी करते पकड़े जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत की गई बिलिंग की राशि की है । अतः आवेदक द्वारा कहा गया कथन बिन्दु क्रमांक 02 पूर्णतः असत्य है ।

यह कि जब से कनेक्शन लिया गया आवेदक द्वारा कभी भी विद्युत देयक की राशि का भुगतान नहीं किया गया है । अतः आवेदक द्वारा 100 यूनिट से अधिक लगभग 300 रूपये का बिल भरा गया संबंधि दिया गया कथन बिन्दु क्रमांक 03 पूर्णतः असत्य है ।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

यह कि जब से उपभोक्ता द्वारा कनेकशन लिया गया है तब से आज दिनांक तक विद्युत देयक की राशि का भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण उक्त देयक इक्ट्ठा होकर मार्च 2017 की स्थिति में 101574 हो गया है ।

यह कि उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करने पर पाया गया कि परिसर पर कुलर–2 टी. व्ही.–1 सी.एफ.एल.–3 पंखा–2 एवं टिल्लू–1 का उपयोग हो रहा है । जिसका कुल भार 1130 वॉट होता है ।

यह कि उपभोक्ता द्वारा किस प्रकार 300 रूपये प्रतिमाह के अनुसार बिल का भुगतान किए जाने हेतु कहा जा रहा है, यह समझ से परे है ।

यह कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि प्रकरण को निरस्त करते हुए विद्युत देयक भुगतान किए जाने हेतु उपभोक्ता को आदेशित करने का कष्ट करें ।

फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

आवेदक ने प्रकरण में कथन किया कि उनके पिता श्री दयाराम पिता हरगोविन्द ने घरेलू विद्युत सर्विस कनेक्शन कं. 2404608–18–11–0956871000 डी.ए. है। विद्युत वितरण – कम्पनी डबरा से दिनांक 03/02/2006 को बिना मीटर लगाये लिया था । जिसके लिये – रू. 1543/– का भुगतान किया गया । विद्युत कनेक्शन देते समय कर्मचारियों ने 100 यूनिट प्रतिमाह से अधिक या रू. 300/– प्रतिमाह मिनिमम का बिल आयेगा ऐसा कहा गया और आज दिनांक तक मीटर भी नहीं लगाया गया है, जिसका वह उपयोग कर रहा है बिना मीटर के आंकलित खपत के आधार पर विद्युत देयक जारी किये जा रहे हैं जिन्हें समाप्त किया जाए। आवेदक द्वारा कई बार कार्यालय में शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई । यदि विद्युत बिल से आंकलित खपत समाप्त कर विधिवत राशि के बिल दिये जाएं तो उस राशि को वह जमा करने को तैयार है ।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में फोरम के समक्ष कथन किया कि उपभोक्ता श्री दयाराम रावत का परिसर निरीक्षण किया जिसमें 1130 वॉट विद्युत भार पाया गया । जिसके अनुसार

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

उपभोक्ता को जारी विद्युत देयक पूर्णतः सही है । अतः बिल की राशि जमा करने हेतु उपभोक्ता को निर्देशित किया जाए । लगभग 2012 से उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया है । यदि उपभौकात विद्युत देयक की बकाया राशि जमा करने को सहमत है तो उसे 31 मई 2017 तक प्रचलित समाधान योजना के तहत छूट दी जा सकती है ।

दिनांक 13/07/2017 को आवेदक प्रतिनिधि अधिवक्ता श्री जितेन्द्र शर्मा द्वारा प्रकरण में कथन किया कि अभी तक मेरे पक्षकार को आंकलित खपत के ही विद्युत बिल दिये जा रहे हैं । जो कि गलत है । अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि मेरे यहां मीटर लगाया जाए एवं रीडिंग के हिसाब से विद्युत बिल दिये जावे तथा पूर्व में जारी आंकलित खपत के विद्युत देयकों को नियमानुसार संशोधित कर प्रदान किया जावे यही निवेदन है ।

अनावेदक ने दिनांक 13/07/17 को कथन किया कि उसके द्वारा पत्र क्रमांक 777 दिनांक 12/05/2017 के माध्यम से बिदुवार विस्तृत जवाब फोरम के समक्ष पूर्व पेशी पर प्रस्तुत कर दिया गया है । शिकायत पूर्णतः निराधार है जो कि शिकायतकर्त्ता द्वारा दस्तावेज संलग्न किये गये हैं वह विद्युत के अवैध उपयोग किये जाने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत बनाए गये प्रकरण की बिलिंग की गई राशि है । उपभोक्ता के परिसर पर पाये गये भार के अनुसार देयक सही हैं । उपभोक्ता के परिसर से खम्बे की दूरी अधिक है । आवेदक द्वारा उक्त खम्बे से परिसर तक केबिल लाईन लगाये जाने के बाद विद्युत मीटर को स्थापित कर दिया जायेगा । अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है । प्रकरण समाप्त किया जावे ।

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 9 की कंडिका 9.13 संयोजन विच्छेदन (डिसकनेक्शन):– उपभोक्ता द्वारा भुगतान में चुक किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह उपभोक्ता के संयोजन को अस्थाई विच्छेदन के बगैर अधिकतम 3 (तीन) माह युक्तियुक्त अवधि के अध्यधी जारी न रखा जाना सुनिश्चित करें । अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि वह भुगतान में चुक करने वाले सभी प्रकरणों को नियमित रूप से अनुवीक्षण (मानीटर) किया जाना सुनिश्चित करें तथा अस्थाई या स्थाई रूप से संयोजन के विच्छेदन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्परता से समयबद्ध कार्यवाही की पहल करें ।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

9.14 :– यदि कोई उपभोक्ता प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के बिना, निर्धारित तिथि तक किसी देयक का पूर्ण भुगतान करने में चूक करता है तो उपभोक्ता का सेवा नियोजन अस्थायी रूप से विच्छेदित किया जा सकेगा जिसके लिये उपभोक्ता के सेवा नियोजन का विच्छेद करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसे पूर्ण 15 (पंद्रह) दिवस की लिखित सूचना दी जाएगी । घरेलू संयोजन का विच्छेद करने के पूर्व यह प्रयास किया जाना चाहिये कि परिवार के किसी व्यस्क सदस्य को इस बारे में सूचित किया जाए । यदि संयोजन विच्छेद किये जाने के कारण को दूर करने के प्रमाण के प्रस्तुतिकरण द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के विच्छेदन के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी को संतुष्ट कर दिया जाता है तो विद्युत प्रदाय का विच्छेदन नहीं किया जावेगा ।

9.15:– अस्थाई संयोजन विच्छेद के पश्चात्, विद्युत प्रदाय उसी दशा में पुनर्स्थापित किया जाएगा जब उपभोक्ता बकाया प्रभारी/देय राशि/निर्धारित की गई किश्त की राशि मय संयोजन विच्छेद तथा उसे जोड़ने के प्रभारों सहित भुगतान कर देता है ।

अनावेदक ने प्रकरण में प्रस्तुत लिखित जवाब में कहा है कि आवेदक को घरेलू विद्युत संयोजन 2404608–18–11–0956871000 डी.ए. दिनांक 01/12/2012 को दिया गया था एवं आवेदक ने उसके विद्युत संयोजन हो जाने के बाद कभी भी उसके विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया गया । जिसकी पुष्टि उपभोक्ता पासबुक से होती है । जिसमें माह जुलाई 2013 से मार्च 2017 तक कोई भुगतान नहीं किया गया ।

अनावेदक को आवेदक द्वारा विद्युत देयकों के भुगतान नहीं करने पर विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की उपरोक्त कंडिका 9.13 के अनुसार कार्यवाही करते हुए आवेदक के विद्युत संयोजन को अस्थाई रूप से अधिकतम 3 (तीन) माह तक विच्छेदित करना था जो कि नहीं किया गया ।

इसी प्रकार अनावेदक एवं आवेदक द्वारा विद्यतु प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 9.14 एवं 9.15 के तहत भी यदि कोई कार्यवाही की गई का कोई प्रमाण फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिसकी पुष्टि उपभोक्ता पासबुक के अवलोकन से भी होती है । यहां पर भी अनावेदक की सेवा में कमी प्रदर्शित होती है । चूँकि आवेदक का विद्युत संयोजन विद्युत देयकों का भुगतान न करने के कारण अनावेदक ने विद्युत संयोजन का अस्थाई/स्थाई विच्छेदन नहीं

किया एवं आवेदक ने विद्युत संयोजन दिनांक 01/12/2012 से बिना विद्युत मीटर स्थापित किये विद्युत का उपयोग किया है ।

अनावेदक द्वारा जारी किये गये बिल में आंकलित खपत का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है ।

आवेदक के परिसर में स्थापित विद्युत भार 1130 वॉट पाया गया है अतः पाये गये भार के आधार पर आवेदक के विद्युत संयोजन के घरेलू उपयोग का एल.डी.एच.एफ. के अनुसार विद्युत खपत का आंकलन कर विद्युत देयक आवेदक को दिया जाना फोरम उचित मानता है ।

फोरम का निर्णय :– 1.अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक का एल.डी.एच.एफ. फार्मुले से संयोजित भार 1130 वॉट लेकर 108 यूनिट प्रतिमाह औसत खपत लेकर आवेदक को 01/12/2012 से आदेश दिनांक तक विद्युत देयकों का संशोधन कर विद्युत देयक जारी करें ।

2. अनावेदक आवेदक को विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 9.14 के अनुसार तुरन्त सूचना पत्र जारी करें एवं नियमानुसार कार्यवाही कर आवेदक द्वारा विद्युत देयक का भुगतान न करने पर विद्युत संयोजन का अस्थाई/स्थाई रूप विच्छेदित किया जावे ।

3. आवेदक के परिसर में तत्काल मीटरयुक्त कनेक्शन दिया जावे ।

आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता है।

पालन प्रतिवेदन आदेश की प्रति प्राप्त होने के 15 दिवस में आवेदक एवं फोरम को एक–एक प्रति भेजें ।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरणः निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 21.07.2017
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस. मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष